राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक : 10] दसवीं विधान सभा के दसवें सत्र का तीसरा दिवस [संख्या : 3

बुधवार,

11 मार्च, 1998

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अनुरोध

माननीय सदस्य श्री भरतसिंह पर हमला एवं उन द्वारा आत्मदाह की घोषणा के सम्बन्ध में प्रश्नकाल से पहले वक्तव्य दिलाने का अनुरोध

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरत सिंहजी का क्या हुआ ? उन्होंने आत्मदाह की घोषणा की है। सरकार ने क्या किया ? (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। (व्यवधान) भरत सिंहजी ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आत्मदाह की धमकी दी है भरतसिंह ने। सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। (व्यवधान) यह खुद ही संरक्षण ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : गलत बयानी की है मुख्य मंत्रीजी ने।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सरकार ने कुछ भी नहीं किया और एक माननीय सदस्य के साथ मारपीट हुई उसके बाद भी... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, 24 घंटे बाद.... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुख्य मंत्रीजी ने कल सदन में जो कुछ कहा वह असत्य कहा है। मुख्य मंत्रीजी यहां आकर सदन में खेद प्रकट करें।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : यह सरकार विधायकों की सुरक्षा भी नहीं कर पा रही है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की जा रही है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन को गुमराह किया। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी ने भरत सिंहजी के मामले में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया। यह राजस्थान के मुख्य मंत्री को शोभा नहीं देता। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने कल कहा था कि कल (व्यवधान) जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप

(2)

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

इस सदन के सदस्य भरत सिंहजी की सुरक्षा के लिये गृह मंत्रीजी को निर्देश दें कि इस सदन के सदस्य भरत सिंहजी.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : प्रजातंत्र में यह बरदाश्त नहीं किया जायेगा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कल उन्होंने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। आज जो कहना चाहते हैं वह एक-एक कहें तब तो कुछ पता चले। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्य भरत सिंहजी पर कातिलाना हमला हुआ। (व्यवधान) इसके बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार में किसी के जान-माल की कोई सुरक्षा नहीं है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस सदन के माननीय सदस्यों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भरत सिंहजी पर हमला हुआ, मुख्य मंत्रीजी ने कहा उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुख्य मंत्रीजी यहां आकर खेद प्रकट करें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, खुलेआम हमले किये जा रहे हैं। खुलेआम हमले किये जा रहे हैं और सरकार.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सदन की है। इस समय सदन चल रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई कार्यवाही नहीं की है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन को गुमराह किया। मुख्य मंत्रीजी ने कल तथ्यों को तोड़ मरोड़कर के.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : (व्यवधान) जिस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सख्ती से पेश आयें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्रीजी ने सदन को गुमराह किया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें । आसन पैरों पर है ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : भरत सिंहजी और रामेश्वर सिंहजी के साथ अन्याय हुआ है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूप जी, कृपया आप विराजें । आसन पैरों पर है । (व्यवधान) प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय, आपके पक्ष के लोग क्या कहना चाहते हैं कृपया आप फरमायें । (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : श्री खेतसिंह जी, मैं पार्टीसिपेट कर दूं ।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, सब्जेक्ट क्या है यही पता नहीं है । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उप नेता महोदय को पुकारा है । आप उप नेता हैं ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह सचेतक जी हैं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य सचेतक जी बोल रहे है । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उप नेता को अक्ल नहीं है, यह कहना चाहते हैं आप ? (व्यवधान) वह तो वह ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं । (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : जो कह रहे हैं उन्हें पता नहीं है । (व्यवधान) + + + (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, भरत सिंहजी के साथ में जो मार-पिटाई हुई है उसके बारे में कल भी थोड़ी-सी चर्चा हुई थी । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये । माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि क्या कोई प्रस्ताव इस बारे में विचाराधीन है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य सचेतक महोदय, वह कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या कहना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने उनको इजाजत दी है । (व्यवधान) मैंने उनको इजाजत दी है । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने इजाजत दी है तो मुझे कुछ कहना नहीं है ।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप शासन के ऊपर हैं क्या ? (व्यवधान) आप बीच में बोल रहे हैं ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय को अधिकार है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप सुनिये । (व्यवधान)

श्रीमती कमला (बैराठ) : वे करेंगे संचालित हाउस को । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या केवल आपको ही अधिकार है बोलने का ? आप ऐसा मत समझना । (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्योंकि मेरा टेलीफोन खराब होने से मेरी उनसे बात नहीं हो सकी । बात दीपेन्द्र सिंहजी से हुई है । दीपेन्द्र सिंहजी आपको सारी बात बतायेंगे । टेलीफोन आप लोगों ने ही खराब करवा रखे हैं हमारे । (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल और आज एक विशेष प्रकरण को लेकर..... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल को.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट में अपनी बात कह रहे हैं । (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल को निलम्बित कर दिया क्या ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप सुनें, माननीय सदस्य । (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : चाकू मारा है.... (व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : कोई प्रस्ताव है, प्रकरण है ? किस बारे में कह रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें । (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : प्रश्नकाल में किस बात पर चर्चा चल रही है ? प्रश्न-काल में हजारों रुपया खर्च होता है । (व्यवधान) प्रश्नकाल चलने दीजिये उसके बाद करिये इस पर चर्चा । (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, तीन दिन हो गये । कल और आज.... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : कल और आज जिन परिस्थितियों में.... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य अनुशासनहीन हो रहे हैं । (व्यवधान) न तो इनके नेता को बोलने देते हैं और न इनमें कोई अनुशासनता है । (व्यवधान) प्रश्न नहीं लेना चाहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें । (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल पहले हो ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने उनको दो मिनट का समय दिया है। श्राप सुन लीजिये। विराजें।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह समय बहुत.... (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, जब इनके नेता को यह पता ही नहीं है कि क्या चाहते हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य क्या चाहते हैं यह इनके उप नेता श्रौर नेता को मालूम ही नहीं है। इनको खुद को ही मालूम नहीं है कि यह क्या बोल रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : केवल अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : सदन के नेता ने आश्वासन दिया कि सारी जानकारी सदन के पटल पर रखी जायेगी।

एक माननीय सदस्य : केवल श्रपराधियों को बचाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : श्रपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा है कि श्रपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। (व्यवधान) चाहे इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल पहले लिया जाए। (व्यवधान) पहले प्रश्न पूरे किये जाएं उसके बाद माननीय सदस्य कह सकेंगे। पांच मिनट में कोई ऐसा मामला नहीं बिगड़ रहा है। (व्यवधान) आधा घंटा-एक घंटा बाद अपनी बात कह सकते हैं। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : एकदम संतुष्ट हो गये फिर क्या चर्चा करनी है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के बाद ही बात कह सकते हैं। (व्यवधान) ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रश्न के बाद नहीं कह सकते। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : श्रासन को बुलाने का श्रधिकार है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बहुत मुश्किल से प्रश्न का जवाब श्राता है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप बैठिये। सदन का श्राचरण श्राप लोग बिगाड़ते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : किसी भी दोषी को बचाने में.... (व्यवधान) यह दोषी को बचाने में लग रहे हैं। (व्यवधान) विधायक महोदय ने यह खुद ने बयान दिये हैं कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार करें लेकिन जो दोषी हैं वह न तो विधायक हैं, विधायक का पुत्र है उसको विधायक के बराबर में लाकर खड़ा किया है। (व्यवधान) विधायक को बचाने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है बल्कि नावां के विधायक..... (व्यवधान) कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : श्रापको तो आदत पड़ चुकी है चोखी ढाणी के खीर-मालपुए खाने की। (व्यवधान) जनता ने जनादेश श्रापके खिलाफ दिया है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अनुशासन वे रखते नहीं.... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सदस्यों का यह मन है कि.... (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सत्ता पक्ष के नेता से कहिये कि वे अनुशासन रखें....

एक माननीय सदस्य : भरतसिंह जी और राजेन्द्र सिंहजी के बारे में... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, माननीय सदस्य (व्यवधान) माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : प्रश्नकाल प्रश्नकाल। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रश्न क्यों नहीं आ रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। कृपया विराजें, माननीय सदस्य। कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुजरिम को बचाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और सदन का दुरुपयोग किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल यह मामला उठा था. . और इसमें कल बात हो गई... (व्यवधान) और सदन के नेता महोदय ने.... (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, इनको तो आप बोलने देते हो, जो चाहे बोलने देते हैं और हमको तो आप.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी व्यवस्था को चुनौती दे रहा है सत्ता पक्ष... (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप सत्ता पक्ष को तो बोलने दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्ष महोदय, कल यह मामला उठ गया...... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है यह।

श्री कालीचरण सराफ : .... मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दिया है, बार-बार मामला उठाकर क्या करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये। माननीय सदस्य, कृपया विराजें (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : जो भी गलती करे उसको निकाल दिया जाये.... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, जब खेतसिंहजी जानकारी नहीं दे सकते तो यह मामला गम्भीर नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। आप भी विराजें। (व्यवधान) प्रश्न, श्री विष्णु मोदी।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : दो मिनट आपने समय दिया है, आपकी व्यवस्था है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपने अभी-अभी अपनी रूलिंग दी है कि आप दो मिनट के लिए बोलने देंगे हमको, आपने रूलिंग दी है अभी और आपने इनको कॉल कर लिया है। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : आपने समय दिया है, आपने व्यवस्था दी है। उपाध्यक्ष महोदय सारी स्थिति स्पष्ट करने के लिए। आप सदन चलाना चाहते हैं और हम आपको सहयोग करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : पहले दीपेन्द्रसिंह जी बोलेंगे। (व्यवधान) इनको घटना का मालूम है.... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी आपने दो मिनट के लिए बोलने का मौका दिया है, यह क्या कर रहे हैं आप.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : वे अपनी बात कहेंगे.... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आपने व्यवस्था दी है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दी है। कृपया विराजें। कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप उनके दबाव में आ गये। आप उनके दबाव में आकर के ऐसा कर रहे हैं। (व्यवधान) आप दो मिनट का बोलने का कह गये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : ...और आप...

एक माननीय सदस्य : आपको सत्ता पक्ष कोई सहयोग नहीं कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने दो मिनट का निवेदन किया था। दो मिनट की जगह पांच मिनट का समय निकल गया। अब प्रश्नकाल शुरू हो रहा है। श्री विष्णु मोदी। विष्णु मोदी। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप व्यवस्था तो बना सकते नहीं, उनको बैठा रहे हैं नहीं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी से बयान तो दिलवा दें। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया न्याय कीजिये। आपने उनको दो मिनट बोलने का मौका दिया था, उसके बाद + + + अपनी स्वयं की रूलिंग को बदल दिया पांच मिनट में।.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रमाकांत शर्मा : दबाव नहीं, नियमों का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : हमारे साथ न्याय कीजिये। उनको बोलने का मौका दिया जाए। (व्यवधान) आप इस विषय को इतना लाइटली लेना चाहते हैं... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने यह फरमा दिया है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप सुनने भी नहीं देना चाहते.... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : हाउस का समय प्रश्नकाल का है। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : आपने व्यवस्था दी है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर, आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, आप उनको बोलने का मौका देकर के उसी बात को.... बदल कैसे सकते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैंने दो मिनट का समय दिया था, वह समय निकल गया.... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : .... उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप हाउस में व्यवस्था करा दीजिये... (व्यवधान) सत्ता पक्ष की तरफ से हाउस अनियंत्रित हो रहा है। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे अपनी बात बोलने का अवसर तो दीजिये। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : व्यवधान वे उत्पन्न करें.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप यह व्यवस्था करें कि माननीय सदस्य अपनी बात कह सकते हैं.... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, अगर मामला इतना गम्भीर होता तो माननीय सचेतक महोदय को इसकी जानकारी होती। इसका मतलब है कि मामला इतना गम्भीर नहीं है। (व्यवधान) माननीय खेतसिंह जी को यह जानकारी नहीं है इसलिए यह मामला गम्भीर नहीं है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : खेतसिंहजी को और उप नेता महोदय, दोनों को यह जानकारी है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : माननीय सचेतक को भी यह ज्ञान नहीं है इसलिए यह विषय गम्भीर हो ही नहीं सकता। (व्यवधान) जब प्रतिपक्ष के सदस्य को इसकी जानकारी नहीं है, तो यह मामला गम्भीर हो ही नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल से ज्यादा गम्भीर मामला यह नहीं है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : उपाध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं व्यवस्था दी है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य के बेटे ने पिटाई की है और अब (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : प्रश्नकाल, प्रश्नकाल। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : भरतसिंह जी के साथियों ने चाकू मारने का प्रयास किया और यहां सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : मुजरिम को बचाने के लिए यहां + + + किया जा रहा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सदन को गुमराह करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। भरतसिंह जी उस मंदिर में गये और चाकू से हमला किया है (व्यवधान) जगन्नाथ जी के लड़के पर.... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : आप सदन को गुमराह करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय सदस्य के लड़के को चाकू से मारा है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : और ये सदन को गुमराह करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : ये सरासर गलत बयानी कर रहे हैं आप। आपके चिकित्सक को दबाने की कोशिश की गयी। उस मेडिकल आफिसर को दबाकर गलत मेडिकल रिपोर्ट आपने बनाने की कोशिश की है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, आपने दो मिनट खेतसिंह जी को दिये थे और उन्होंने आगे आदेश फरमान जारी करके और दूसरे माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहा है। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के लोगों को आप शांत कर पायें तो मेहरबानी होगी। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : .... और उस हिसाब से कल डी. आई. जी. साहब इसकी जांच कर देंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मैं अपनी बात कहना चाहता हूं आपके आदेश से, अब तक बात समाप्त हो चुकी होती किन्तु जान-बूझकर सत्ता पक्ष के लोग अपनी कमी को छिपाने के लिए व्यवधान करना चाहते हैं, केवल दो मिनट का समय आपने बख्शा और ... (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : चर्चा हो गयी थी कल.... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : गिरफ्तारी से बचने के लिए

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(16)

(श्री मदन दिलावर)

सरासर +++ कर रहे हैं। उन्होंने 16–17 साल के लड़के पर हमला किया है। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, "हम ग्राह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चे तक नहीं होते।" इस तरह हाउस को कैसे चला रहे हैं ग्राप। (व्यवधान) मैं ग्रपनी बात कहूंगा ग्रापके ग्रादेश से। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : मुजरिमों को बचाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : दो घटनाग्रों को लेकर ग्राज राजस्थान की विधान सभा में इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई हैं (व्यवधान) एक विधायक के साथ ग्राज इस सदन के नेता.... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : मुजरिम को बचाने के लिए.... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : जिसकी गिरफ्तारी होनी है उसको बचाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के बाद में भी बात हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय जगन्नाथ जी वर्मा का लड़का.... (व्यवधान)

(कांग्रेस के माननीय सदस्य सदन के वैल में ग्रा गये)

एक माननीय सदस्य : जिसको जाना है तो जाग्रो। जाग्रो, जाग्रो, जाग्रो। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, केवल ग्रपराधी को बचाने के लिए यह +++ किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सत्ता पक्ष के सदस्य मर्यादित नहीं है। (व्यवधान) ग्रापका कहना नहीं मानते हैं।

श्री कालूलाल गूजर : ग्रपराधी को बचाने का +++ किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ग्राप हां पक्ष के लोगों को नियंत्रित कीजिये। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : विपक्ष के द्वारा ग्रपराधियों को बचाये जाने का प्रयास नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : ग्राप सुनना ही नहीं चाहते हैं ग्रौर इसका मतलब ग्राप ग्रपने दोष को छिपाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : यह सिर्फ ग्रपराधियों को बचाने का +++ है। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के उप नेता को मालूम है कि मामला क्या है। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय को मालूम नहीं है कि मामला क्या है। किसी को मामले का पता नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

+++ शब्द ग्रध्यक्षपीठ के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित किये गये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय को निर्देश देने का कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आपको बात सुनने में कोई तकलीफ हो रही है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है सदन में कि उपाध्यक्ष महोदय को निर्देश दिये जाएं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, एक मुजरिम को बचाने के लिए सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह क्या करना चाहते हैं ? क्या हमला करेंगे ? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, यह हमले की कोशिश है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : सारां के हाथ जोड़ के निवेदन है कि बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर चौधरी (नावां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में नियमों का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सदस्य + + +

श्री रामेश्वर चौधरी : सदन में अध्यक्ष की व्यवस्था अंतिम होती है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : + + +

श्री रामेश्वर चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। कृपया आप नियमों का पालन करवाइये।... (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा नियमों का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। विपक्ष द्वारा बार-बार नियमों की अवहेलना की जा रही है। नियमों का पालन करवाओ, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री रामेश्वर चौधरी : आपकी व्यवस्था अंतिम होती है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : + + +

अनेक सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, जब आप इजाजत दे रहे हैं तो बोलने क्यों नहीं देते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(12)

श्री रामेश्वर चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जब व्यवस्था दे दी, उस व्यवस्था का पालन तो करवाइये । (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : वाक आउट ।

श्री रामेश्वर चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी, उसका पालन नहीं किया जा रहा है । (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सदस्यों का मन है कि वंदेमातरम् बोला जावे, इनका यह मन है । वंदेमातरम् (व्यवधान)

श्री रामेश्वर चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कोई व्यवस्था दे दी, नियम दे दिया, उसकी पालना करवाइये आप । (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : वंदेमातरम् बोलने की मंशा है प्रतिपक्ष के सदस्यों की । (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : रामप्रतापजी, जब आपको लगेंगे लट्ठ तब पता लगेगा, आपने अभी खाया नहीं है । (व्यवधान)

श्री रामेश्वर चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जब व्यवस्था दे दी है, व्यवस्था का पालन करवाइये । (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, बोलने के लिए कुछ नहीं है ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : बोलना बंद हो जायेगा ।

श्री रामप्रताप कासनियां : और सदन का कीमती समय जाया कर रहे हैं माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, कल मुख्य मंत्रीजी ने सदन को गुमराह किया था । कल मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की जनता के सामने तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया था । (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : मुख्य मंत्रीजी ने कल यह कहा था कि मुजरिम चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : माननीय भरतसिंह जी के ऊपर जानलेवा आक्रमण हुआ था, मुख्य मंत्रीजी ने उन तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया था और आज.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें । कृपया बैठिये माननीय सदस्य ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : और आज हम वस्तुस्थिति से अवगत कराना चाहते हैं लेकिन उधर हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं । आपकी बात वे मानते नहीं है । प्रतिपक्ष के सदस्यों को दो मिनट के लिए बोलने का मोका देना नहीं चाहते । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये । कृपया बैठिये माननीय सदस्य.... (व्यवधान) सदन की बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदुनन्तर सदन की बैठक 11.20 बजे एक घंटे के लिये स्थगित हुई)

(सदन में नहीं लिये जा सके तारांकितप्रश्न एवं उनके उत्तर)

कानून व्यवस्था में सुधार के उपाय

26. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बदलते सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक परिवेश में वर्तमान पुलिस अधिनियम कारगर नहीं है ?

(2) क्या सरकार बढ़ते अपराधों की कारगर ढंग से रोकथाम एवं कानून-व्यवस्था को प्रभावी ढंग से अंजाम दिये जाने के लिये वर्तमान पुलिस अधिनियम में संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस रूप में और कब तक ?

उत्तर

(1) पुलिस विभाग अभी तक पुलिस अधिनियम, 1861 के अन्तर्गत ही कार्य करता आ रहा है व सन्तोषप्रद रूप से कार्यवाही हो रही है परन्तु इस केन्द्रीय अधिनियम को बने हुए लगभग 137 वर्ष हो चुके हैं । अतः बदलते सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए इस अधिनियम में भी परिवर्तन की आवश्यकता है ।

(2) संशोधन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है ।

अलवर के भवन विहीन उप-स्वास्थ्य केन्द्र

27. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर में ऐसे कितने एवं कौन-कौन से उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जिनके पास भवन उपलब्ध नहीं हैं ?

(2) क्या उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन बनाने के सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति निर्धारित है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) सरकार उपरोक्त उप-स्वास्थ्य केन्द्रों पर भवनों का निर्माण कब तक करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला अलवर में 98 उप केन्द्रों के भवन उपलब्ध नहीं हैं । सूची सलग्न है ।

(2) जी, नहीं ।

(3) प्रश्न के भाग 1 के अनुसार शेष उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण अगले वित्तीय वर्ष में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर ही करवाया जाना सम्भव होगा ।

(सूची के लिये परिशिष्ट–1 देखें)

उप जिला मुख्यालयों पर महाविद्यालय

28. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार शहरों में बढ़ती छात्र संख्या तथा ग्रामीण एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के छात्रों की आर्थिक स्थिति को

(श्री कुबेर सिंह)

मध्यनजर रखते हुये उप जिला मुख्यालयों पर महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

नहीं । प्रत्येक उप जिला मुख्यालय पर महाविद्यालय खोलने का राज्य सरकार द्वारा कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है । वर्तमान मापदण्ड पूर्ण करने वाले उप जिला मुख्यालयों पर वित्तीय संसाधनों की सीमा के तहत महाविद्यालय राज्य सरकार खोलती रही है ।

बेगूं विधान सभा क्षेत्र में राशन सामग्री का वितरण

29. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या बेगूं विधान सभा क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में राशन के केरोसीन व शक्कर अबाध एवं नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा रही है ? यदि हां, तो वर्ष 1997 में कितनी-कितनी, कब-कब उपलब्ध करवाई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त वर्ष में वितरित की गयी सामग्री का माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

बेगूं तहसील (विधान सभा क्षेत्र) में चीनी का वितरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्केल 425 ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह के आधार पर किया जा रहा है । चीनी का आबंटन भारत सरकार से वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर प्राप्त हो रहा है ।

उक्त क्षेत्र में केरोसीन तेल का वितरण उपलब्ध मात्रा के आधार पर किया जा रहा है । शहरी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को अधिकतम 10 लीटर प्रति राशनकार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम प्रति राशनकार्ड 5 लीटर केरोसीन का वितरण करवाये जाने के आदेश हैं ।

जनवरी, 97 से दिसम्बर, 97 के मध्य चीनी एवं केरोसीन का आबंटन निम्नानुसार है :—

नाम माह	चीनी (मात्रा क्विं.)	केरोसीन (मात्रा के.एल.)
जनवरी, 97	800	144
फरवरी, 97	870	144
मार्च, 97	800	144
अप्रेल, 97	870	156
मई, 97	800	144
जून, 97	800	146
जुलाई, 97	800	156
अगस्त, 97	800	156
सितम्बर, 97	800	144
अक्टूबर, 97	920	144
नवम्बर, 97	920	144
दिसम्बर, 97	800	144

तारांकित प्रश्न संख्या 30

(स्थगित)

राज्य में शिशु गृह/बालिका गृह/ सदन के संचालन की व्यवस्था

31. श्री हरिसिंह (महुआ) एवं श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में शिशु गृह/बालिका गृह/सदन संचालित करने का काम कुछ पंजीकृत निजी संस्थाओं के सुपुर्द कर रखा है ? यदि हां, तो एसी संस्थाओं की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) प्रत्येक पंजीकृत निजी संस्थाओं में भर्ती शिशुओं की संस्थावार संख्या कितनी-कितनी हैं ?

(3) निजी पंजीकृत किन-किन संस्थाओं को गत 5 वर्षों में वर्षवार कितना-कितना अनुदान दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी, हां । परिशिष्ट "अ" में सूची संलग्न है ।

(2) पंजीकृत प्राइवेट संस्थाओं में संस्थावार/वर्षवार भर्ती किए गए शिशुओं का विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है ।

(3) प्राइवेट पंजीकृत संस्थाओं को स्वीकृत अनुदान का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "स" में संलग्न है ।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

तहसील शेरगढ़ में अवैध खनन की रोकथाम के उपाय

32. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शेरगढ़ तहसील में इमारती पत्थर बहुत से गांवों में निकलता है ? यदि हां, तो ऐसे गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि अवैध खनन को रोकने के लिए दो तीन सर्वे पार्टी लगाकर, नक्शे बना कर लॉटरी के द्वारा 5,000 खान पट्टे दिये जा सकते हैं ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) जी, हां । शेरगढ़ तहसील के निम्नांकित गांवों में इमारती पत्थर निकलता हैं :—

बालेसर सता, कुई जोधा, सेतरावा, खानोड़ी, भालपुरा, माලू, केतू, वेचू, खिरजा भोजा, सियादा, डेरिया, मेरिया, ठाडियां व खुडियाला ।

(2) जी, नहीं । अवैध खनन से प्रभावित क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में सर्वे करना, नक्शे बनाकर 1997–98 वित्तीय वर्ष में कुल 1654 क्वारी लाइसेंस आबंटित किये जा चुके हैं । इसके अलावा 201 प्लाटों के लिए दिनांक 4-3-98 को आवेदन पत्र मांगे गए हैं । इसी प्रकार 483 प्लाटों के

(16)

(खनिज मंत्री)

आवंटन हेतु 27 व 28 मार्च, 1998 को आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। अब तक किये गये सर्वेक्षण में अवैध खनन से प्रभावित लगभग सभी क्षेत्रों को सम्मिलित कर लिया गया है।

तारांकित प्रश्न संख्या 33

(स्थगित)

दौसा जिले की मोरेल पुलिया का निर्माण कार्य

34. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दौसा जिले में लालसोट, सवाईमाधोपुर मार्ग पर मोरेल पुलिया सम्पर्क सड़क का कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त सम्पर्क सड़क पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा गलत जगह पर सड़क व पुलियाओं का निर्माण किया गया जिसे बाद में हटाकर अन्य स्थान पर सड़क बनाई गयी है ? यदि हां, तो उक्त गलत स्थान पर निर्माण कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता सवाईमाधोपुर द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही करते समय गलती की गयी ? यदि हां, तो उक्त कार्य में अधिक धन का दुरूपयोग करने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

(5) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। दौसा जिले में लालसोट सवाईमाधोपुर मार्ग पर मोरेल पुलिया सम्पर्क सड़क पर किलोमीटर 164, 165 में कुछ भाग में पूर्व निर्धारित स्थान से हटकर किसी अन्य स्थान पर अलाइनमेंट दे दिये जाने एवं संवेदक द्वारा अधूरा कार्य छोड़ देने के कारण सड़क कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जा सका।

(2) मोरेल सम्पर्क सड़क निर्माण पर अब तक कुल राशि रुपये 120.22 लाख व्यय हो चुकी है।

(3) यह सही है कि सड़क निर्माण पर कार्यरत एक कनिष्ठ अभियंता द्वारा लगभग 1200 मीटर की लम्बाई में पूर्व निर्धारित स्थान को छोड़कर एक अन्य स्थान पर इस सड़क पर मिट्टी का कार्य किया गया, किन्तु पूर्व निर्धारित स्थान से हटकर किसी अन्य स्थान पर किसी पुलिया का निर्माण नहीं किया गया। लगभग 1200 मीटर लम्बाई वाली पूर्व निर्धारित व उचित स्थान पर अभी तक सड़क निर्माण का कार्य नहीं किया गया। पूर्व निर्धारित व उचित स्थान से हटकर 1200 मीटर लम्बाई में किये गये मिट्टी के इस कार्य हेतु रुपये 94,666.46 की देनदारी अनुमानित है, परन्तु इस राशि का अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

है। पूर्व निर्धारित व उचित स्थान से हटकर अन्यत्र किये गये मिट्टी के कार्य के कारण उत्पन्न हुई देनदारी का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) जी, नहीं। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही में कोई गलती नहीं की गयी है। अतः इसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(5) राज्य सरकार द्वारा उचित स्थान से अन्यत्र मिट्टी का कार्य कराने के लिये जिम्मेदार कनिष्ठ अभियन्ता को दिनांक 23-11-96 को निलम्बित कर दिया गया है, एवं उसके विरुद्ध नियम 16-सी. सी. ए. के अन्तर्गत दिनांक 29-11-96 को आरोप पत्र दे दिया गया है। अधिकारी के विरुद्ध जांच चल रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

नादौती व टोडाभीम तहसीलों में राशन की दुकानें

35. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील नादौती एवं टोडाभीम में कुल कितनी राशन की दुकानें संचालित हैं? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नवम्बर, 1995 से अब तक किन-किन डीलरों द्वारा कितना-कितना गेहूं, केरोसीन व शक्कर आदि प्राप्त कर कितनी सामग्री का वितरण किया गया?

(3) क्या राशन सामग्री वितरण में अनियमितता करने के सम्बन्ध में विक्रेताओं के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

(4) उक्त क्षेत्र में नवम्बर, 1995 के बाद कितनी नई दुकानें स्वीकृत की गयी? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील नादौती में 46 एवं तहसील टोडाभीम में 68, इस प्रकार कुल 114 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) नवम्बर, 1995 से अब तक डीलरवाइज गेहूं, केरोसीन व शक्कर का कितना-कितना दिया गया, इस सम्बन्ध में सूचना काफी अधिक है जिसे सदन की मेज पर रखना संभव नहीं हो पा रहा है। करौली जिला दिनांक 19-7-97 से अस्तित्व में आया है, उक्त तिथि के पश्चात् का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी, हां।

(4) नवम्बर, 1995 के बाद तहसील नादौती में 9 एवं तहसील टोडाभीम में 14, इस प्रकार 23 नई दुकानें स्वीकृत की गयी है। यह दुकानें भी भाग (1) में दर्शायी गयी सूची में सम्मिलित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(18)

नागौर जिले में ओलावृष्टि प्रभावित काश्तकारों को मुआवजा

36. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ओलावृष्टि से काश्तकारों को फसल का नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो नागौर जिले में इस वर्ष किस-किस गांव के कितने क्षेत्र में ?

(2) क्या यह भी सही है कि किसानों को मुआवजा भी दिया गया है ? यदि हां, तो जिले की लाडनूं तहसील के किस-किस गांव के किस-किस काश्तकार को कितना-कितना ?

(3) क्या यह सही है कि लाडनूं तहसील के काश्तकारों ने शिकायतें की हैं कि नुकसान का सही रूप से जायजा नहीं लेने के कारण काफी लोग नुकसान की भरपाई से वंचित रह गये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी और वंचित रहे काश्तकारों को लाभ कैसे पहुंचाया जाएगा ?

(4) ओलावृष्टि से हुये नुकसान का आकलन किस प्रकार से, किसके द्वारा किया गया ?

उत्तर

(1) जी, हां। अक्टूबर से दिसम्बर, 97 में नागौर जिले में ओलावृष्टि से जिन ग्रामों में नुकसान हुआ है, उसके क्षेत्रफल सहित सूचना सदन के पटल पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट-1)

(2) ओलावृष्टि से जिन कृषकों की मूंग, मोठ, बाजरे की फसल 50% से अधिक क्षतिग्रस्त हुई उनको इनपुट सब्सिडी दी गयी है। उल्लेखनीय है कि योजना सहायता देने की है जो मुआवजा के रूप में नहीं होती है। लाडनूं तहसील के काश्तकारों को दी गयी सहायता का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-2)

(3) जी, नहीं। सहायता राशि सभी प्रभावित काश्तकारों को दे दी गयी है।

(4) ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान का सर्वे तहसीलवार, पटवारी द्वारा काश्तकार के खेत पर जाकर किया गया।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बारां जिले में लूट व हत्या की वारदातें

37. श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां जिले में विगत एक वर्ष में (दिनांक 31-08-97 तक) कितनी हत्याएं एवं लूट की वारदातें किस-किस थाने में, किस-किस तिथि को दर्ज हुई ? हत्या हुए व्यक्ति का नाम, गांव का नाम एवं लूट में गये सामान आदि का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि हत्या एवं लूट के सभी मुलजिमों को पकड़ लिया गया है ?

उत्तर

(1) बारां जिले में दिनांक 1-9-96 से 31-8-97 तक 45 हत्याएं व 87 लूट की वारदातें हुई। वांछित पूर्ण विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(2) बारां जिले के विभिन्न थाने में विगत एक वर्ष में हत्या एवं लूट की वारदातों में कुल 233 अभियुक्त पकड़े गये हैं एवं हत्या व लूट के 11 अभियुक्त शेष हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

हिण्डौन में नीम हकीमों की हकीमी पर रोकथाम के उपाय

38. श्री कमल (हिण्डौन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में कितने नीम हकीम कार्यरत हैं ?

(2) सरकार ने नीम हकीमों की हकीमी को रोकने के क्या उपाय किये हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नीम हकीमी पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) नीम हकीमों का राज्य में रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है। इसलिए उनकी सही संख्या देना सम्भव नहीं है। फिर भी प्राप्त जानकारी के अनुसार सूची संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा सभी अधिकारियों को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1996 की धारा 11 (2) के अन्तर्गत कार्यवाही करने तथा जो नीम हकीम राज्य मेडिकल कौंसिल से पंजीकृत नहीं हैं, उनके विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाकर कार्यवाही करने के निर्देश हैं। जो व्यक्ति विक्रयार्थ औषधि संग्रह करते हैं, उनके विरुद्ध औषधि नियन्त्रण संगठन द्वारा भी कार्यवाही की जाती है।

(3) प्रश्न के भाग 2 में अंकित तथ्यों के अनुसार नीम हकीमों पर अभी भी प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। इसके अतिरिक्त इस हेतु एक पृथक कानून बनाया जाना विचाराधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

कुम्हेर में सड़कों के रख-रखाव की व्यवस्था

39. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के अन्तर्गत कृषि उपज मंडी समिति, भरतपुर के धन से निर्मित सड़कें रख-रखाव हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों की मरम्मत हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

(श्री हरिसिंह)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़कों की मरम्मत पर आवंटित राशि व्यय नहीं की गयी है ? यदि हां, तो किस-किस सड़क पर, कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो सरकार उसकी मरम्मत का कब तक विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। कृषि उपज मण्डी समिति भरतपुर द्वारा निर्मित 14 ग्रामीण सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की गयी है। जिनका विवरण प्रपत्र "अ" सदन के पटल पर उपलब्ध है।

(2) उक्त सड़कों की मरम्मत हेतु रुपये 13.31 लाख विभाग में कृषि उपज मण्डी समिति, भरतपुर द्वारा जमा कराये गये हैं। विवरण प्रपत्र "ब" में अंकित है।

(3) जी, नहीं। अब तक कुल रुपये 13.62 लाख उक्त सड़कों की मरम्मत पर व्यय किये गये हैं एवं सड़कवार व्यय प्रपत्र "स" में अंकित है।

(4) जी, हां। उक्त सड़कें क्षतिग्रस्त स्थिति में ही सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की गयी है एवं राज्य सरकार उनकी मरम्मत का विचार रखती है। प्रपत्र "अ" में क्र. सं. 1 से 5 पर अंकित 5 सड़कों की मरम्मत पूर्ण करा दी गयी है एवं शेष 9 सड़कों की मरम्मत वर्ष 1998-99 में कृषि उपज मण्डी समिति, भरतपुर से शेष राशि जमा होने पर पूर्ण करा दी जावेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

जिला दौसा के आरक्षी केन्द्रों पर दर्ज प्रकरण

40. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत चार वर्षों में जिला दौसा के तहसील क्षेत्र बांदीकुई, सिकराय, लालसोट, दौसा, महुआ स्थित समस्त आरक्षी केन्द्रों पर कुल कितनी प्रथम सूचनाएं दर्ज हुई, उनमें से कितने मामलों में चालान पेश किया व कितनों में एफ. आर. दी गयी ?

(2) उक्त अवधि में चोरी, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार व अन्य फौजदारी मुकदमों की संख्या कितनी-कितनी रही ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1994 से 1997 तक कुल 13579 प्रथम सूचनाएं दर्ज हुई जिनमें से कुल 8410 अभियोगों में चालान व 5017 अभियोगों में अन्तिम प्रतिवेदन दिया गया।

(2) चोरी के 2012, डकैती के 8, लूट के 78, हत्या के 102, बलात्कार के 70 एवं अन्य फौजदारी अभियोग की संख्या 11263 रही।

राजाखेड़ा–आगरा मार्ग पर निर्मित पुल का टोल टैक्स

41. श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजाखेड़ा-आगरा मार्ग पर निर्मित "उटंगन पुल" का टोल टैक्स पुल की योजना में लागत राशि वसूल होने के पश्चात् भी अवमुक्त क्यों नहीं हो पाया है तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार की एक हजार की जनसंख्या वाले गांवों को सम्पर्क सड़क से जोड़ने की योजना के अन्तर्गत धौलपुर जिले की नगला खरगपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय को सम्पर्क सड़क से नहीं जोड़ा जा सकता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

उत्तर

(1) राजाखेड़ा-आगरा मार्ग पर निर्मित उटंगन पुल, उत्तरप्रदेश राज्य की सीमा में है और इस पर टोल टैक्स की राशि की वसूली की व्यवस्था उत्तरप्रदेश सरकार के अधीन है। अतः यह राजस्थान सरकार से सम्बन्धित नहीं है।

(2) सरकार की एक हजार की जनसंख्या वाले गांवों को सम्पर्क सड़क से जोड़ने की योजना के अन्तर्गत धौलपुर जिले के नगला खड़गपुर गांव को विश्व बैंक की कृषि विस्तार योजना में ग्रामीण सड़कों के तहत सम्पर्क सड़क से जोड़ना स्वीकृत है। कार्य ठेकेदार को आवंटित है लेकिन उसके द्वारा कार्य नहीं किये जाने के कारण उसके विरुद्ध अनुबन्ध की धाराओं के तहत कार्यवाही कर दूसरे ठेकेदार को आवंटित करने की कार्यवाही की जा रही है।

नगरपालिका जहाजपुर के अध्यक्ष व सचिव के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

42. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, जहाजपुर के अध्यक्ष एवं सचिव के विरुद्ध थाना जहाजपुर में मु. नं. 14/98 अन्तर्गत धारा 420, 406, 409 दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? मुकदमे की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस ने इस प्रकरण से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजात रेकार्ड नगरपालिका से प्राप्त कर लिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार अब कब तक रेकार्ड प्राप्त कर इस महत्वपूर्ण प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस मामले को रफा-दफा करने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। अभियोग में गवाह जीवणराम, नारायण, श्यामलाल के बयान

(गृह मंत्री)

लिये जा चुके हैं। कुछ रिकार्ड भी प्राप्त कर लिया गया है। मुकदमे की प्रति संलग्न है।

(2) जी, नहीं। रिकार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है जो शीघ्र प्राप्त कर आगे की कार्यवाही की जायेगी।

(3) जी, नहीं।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भागीवाव से सागवाड़ा पाल तक सड़क/पुलियाओं का निर्माण

43. श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भागीवाव से सागवाड़ा की पाल तक सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो कार्य की प्रगति क्या है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग पर कुछ पुलियाओं का निर्माण भी हुआ है ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) क्या यह भी सही है कि सभी पुलियायें टूट गई हैं ? यदि हां, तो उनके टूटने के क्या कारण थे तथा दोषपूर्ण निर्माण कार्य के लिये सरकार किन-किन अधिकारियों को जिम्मेदार मानती हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां। भागीवाव से सागवाड़ा की पाल तक सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है एवं भागीवाव से सागवाड़ा की पाल तक मेटल सड़क का एक लेयर का कार्य पूर्ण हो चुका है।

(2) जी, हां। कुल 24 पुलियाओं का निर्माण हुआ है।

(3) जी, नहीं। इस विभाग द्वारा कुल 23 पुलियाओं का निर्माण किया गया जो कि पूर्ण रूप से सही हालत में है एवं मात्र एक पुरानी पुलिया, जो कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित की गई थी, इसकी डाउन स्ट्रीम साइड दीवार पिछली वर्षा में क्षतिग्रस्त हुई। क्षतिग्रस्त पुलिया बहुत पुरानी है तथा विभाग एवं पंचायत में इस पुलिया का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। अतः सरकार विभाग के किसी भी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं मानती है।

बांसवाड़ा जिले के आरक्षी केन्द्रों में रिक्त पद

44. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में कितने आरक्षी केन्द्रों पर कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं और इन्हें कब तक भरने का सरकार विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार की एक से अधिक बार एक ही आरक्षी केन्द्र पर जिले में नियुक्ति नहीं देने बाबत कोई नीति निर्धारित है ? यदि हां, तो उस पर कब तक पालना की जायेगी और नहीं, तो क्यों ?

(श्री फतेहसिंह)

(3) क्या यह भी सही है कि पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भत्ते महंगाई के हिसाब से कम हैं ? यदि हां, तो उक्त की बढ़ौतरी के संबंध में सरकार का क्या सोच है यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में कुल 14 आरक्षी केन्द्र हैं, इन आरक्षी केन्द्रों पर निम्नांकितानुसार पद रिक्त हैं। पुलिस निरीक्षक 3, उप निरीक्षक पुलिस 12, सहायक उप निरीक्षक 42, मुख्य आरक्षक 14, कानि. 23, कुल 94 पद 8-9-97 से रिक्त हैं, शीघ्र ही रिक्त पदों की पूर्ति कर दी जायेगी।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बढ़े हुए वेतन भत्ते पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी देय होंगे।

बूंदी जिले में विभाग की नजूल सम्पत्ति

45. **श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बूंदी जिले एवं नगर में विभाग की कितनी नजूल सम्पत्ति है ? उक्त नजूल सम्पत्ति में कितनी दुकानें/इमारतें हैं, उनमें से कितनी किराये पर किस–किस को उपलब्ध करा रखी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि किसी भी प्रकार की नजूल सम्पत्ति, चाहे वह किराये पर दी हुई हो, में बिना इजाजत के परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ? यदि हां, तो जिले में कितनी इमारतें हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त नजूल सम्पत्ति जो किसी व्यक्ति को किराये पर दी गई है वह उस दुकान में उपकिरायेदार रख सकता है या अन्य को बिना इजाजत खुद-बुर्द कर सकता है ? यदि नहीं, तो बूंदी जिले में कितनी इमारतें/दुकानें बिना इजाजत के खुर्द-बुर्द की गई हैं ?

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बूंदी के अधीन जिले में कुल 332 नजूल सम्पत्तियां हैं। बूंदीनगर में कुल 314 नजूल सम्पत्तियां हैं, इनमें से 204 दुकानें व 110 इमारतें हैं। इन सम्पत्तियों के किरायेदारों की सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी, हां। यह सही है कि किसी भी प्रकार की नजूल सम्पत्ति जो किराये पर दी हुई है, में बिना इजाजत के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जिले में किराये पर चल रही नजूल सम्पत्तियों में जिन किरायेदारों द्वारा बिना इजाजत परिवर्तन कर लिया गया है उसकी सूची परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(3) जी, हां। यह सही है कि उक्त नजूल सम्पत्ति जो किसी व्यक्ति को किराये

(24)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

पर दी गयी है, वह उक्त दुकान में उप किरायेदार या अन्य को बिना इजाजत खुर्द-बुर्द नहीं कर सकता है। बूंदी जिले में नजूल सम्पत्ति की जिन इमारती दुकानों को बिना इजाजत खुर्द-बुर्द कर दी गई है उसकी सूची परिशिष्ट "ग" संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

थाना जोबनेर (जयपुर) में दर्ज चोरी प्रकरण

34. **श्री बाबूलाल (दूदू)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि थाना जोबनेर, जिला जयपुर के क्षेत्र में गत दिनों एक ही रात में तीन जगह चोरियां हुई हैं ? यदि हां, तो कब, किस-किस के यहां ? घटना स्थल थाना कार्यालय में कितनी दूरी पर स्थित है तथा थाने में वारदात की सूचना कब एवं किसके द्वारा दी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वारदात की सूचना दूरभाष पर थाने में देने पर थानाधिकारी/कार्यरत कर्मियों द्वारा यह कहा गया कि अभी थाने में साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण हम घटना स्थल पर तुरन्त नहीं पहुंच सकते ?

(3) क्या उक्त वारदातों में किसी घायल व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है ? यदि हां, तो कब एवं किस व्यक्ति की ?

(4) क्या सरकार द्वारा मृतक के परिजनों को किसी प्रकार की सहायता दी गयी है ? यदि हां, तो क्या एवं नहीं तो क्यों ?

(5) क्या सरकार अब भी मृतक के परिजनों को कोई सहायता देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार दोषी थानाधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 24-1-98 की रात्रि में ग्राम सेवक की ढाणी तन आसलपुर में श्री मांगीलाल कुमावत, काना राम कुमावत एवं श्री नाथूलाल, रामजीवन कुमावत के मकान में चोरी की वारदात हुई। उक्त ढाणी थाना जोबनेर से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दिनांक 24-1-98 को प्रातः दूरभाष पर श्री नाथू लाल कुमावत ने लगभग 3.30 ए. एम. पर वारदाती की सूचना दी। तत्पश्चात् प्रातः 5 45 पर श्री लाल चन्द पुत्र श्री दुर्गा लाल कुमावत निवासी गाजेडा की ढाणी तन जोबनेर ने लिखित सूचना थाने पर दी।

(2) जी, हां। वारदात की सूचना दूरभाष पर ड्यूटी पर तैनात सन्तरी कानि. श्री देबु राम ने प्राप्त की लेकिन कानि. ने उक्त सूचना थानाधिकारी एवं अन्य किसी को भी नहीं दी।

(गृह मंत्री)

(3) जी, हां । श्री मांगी लाल पुत्र श्री बोदू राम कुमावत की एस. एस. अस्पताल जयपुर में दौराने ईलाज दिनांक 27-1-98 को मृत्यु हुई है ।

(4) जी, नहीं । मृतक के परिजनों से कोई आवेदन इस हेतु राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ।

(5) परिजनों द्वारा आवेदन करने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी ।

(6) जांच से थानाधिकारी दोषी नहीं पाया गया परन्तु दोषी कांस्टेबल देबु राम को निलम्बित कर उसके विरुद्ध विभागी कार्यवाही की जा रही है ।

जिला बांसवाड़ा के थाने में कार्यरत कर्मी

35 श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में कितने थाने हैं तथा उनमें कितने-कितने कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक व निरीक्षक कार्यरत हैं तथा उनमें से कितने अनुसूचित जाति व जनजाति के हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) बांसवाड़ा जिले की रिजर्व पुलिस लाइन में उक्त पदों की संख्या कितनी हैं तथा उसमें अनुसूचित जन जाति के कितने हैं एवं कितने समय से लाइन में पदस्थापित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) बांसवाड़ा जिले के किस-किस आरक्षी केन्द्र/उप केन्द्र पर एक से अधिक बार कितने कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक व थानेदार की नियुक्ति हुई है ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में 14 थाने हैं। इनमें पदस्थापित स्टाफ की पदवार सूचना परिशिष्ट "क" में संलग्न है ।

(2) बांसवाड़ा जिले की पुलिस लाइन में पदस्थापित स्टाफ की स्थिति एवं उनमें से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों की पदवार एवं नामवार विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है ।

(3) वर्ष 1985 से जनवरी, 1998 तक एक ही थाना, चौकी पर एक बार से अधिक बार पदस्थापित रहे अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला भरतपुर के थानों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव

36. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भरतपुर जिले में स्थापित सभी पुलिस थाने राजकीय भवनों में चल रहे हैं और क्या वह भवन आवश्यकताओं को देखते हुये पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो

(21)

(श्री हरिसिंह)

किस-किस थाने पर पर्याप्त भवन का अभाव है और सरकार इस अभाव को दूर करने की क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) क्या उक्त थानों पर पुलिस कर्मचारियों व उनके परिवार के सदस्यों को रहने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो किस-किस थाने पर और नहीं तो सरकार इस अभाव को दूर करने की क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या उक्त जिले के थानों में आवश्यक फर्नीचर खरीदने की सरकार ने व्यवस्था की है ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किस-किस थाने में कितने-कितने मूल्य की फर्नीचर खरीदा ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार ने थानों में सर्दी के मौसम में हिरासत में रहने वाले अभियुक्तों को कम्बल, रजाई, लिहाफ इत्यादि रात्रि में उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था कर रखी है ? यदि हां, तो गत 10 वर्षों में उक्त सामग्री की खरीद पर भरतपुर जिले के किस-किस थाने में कितना-कितना धन व्यय हुआ व किस-किस स्रोत से उक्त सामग्री आयी ? यदि व्यवस्था नहीं है, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । भरतपुर जिले का थाना उद्योग नगर किराए के भवन में चल रहा है शेष सभी थाने राजकीय भवनों में चल रहे हैं । थाना, चिकसाना, डीग, कामां, गोपालगढ़, बैर, सीकरी, जुरहरा, हलेना, कोतवाली (भरतपुर), बयाना, पहाड़ी, नगर, सेवर व नदबई में पर्याप्त भवन का अभाव है । राज्य सरकार के वित्तीय साधन सीमित होने से निर्माण संभव नहीं है ।

(2) जी, नहीं । केवल थाना सेवर पर कर्मचारियों के 16 लोअर सबोर्डिनेट आवास भवन उपलब्ध हैं । शेष थानों में आवास सुविधा उपलब्ध नहीं है । वित्तीय संशोधन के अभाव में निर्माण संभव नहीं है ।

(3) वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक रु. 43,288/- का फर्नीचर क्रय किया है । थानेवार सूचना संलग्न है ।

(4) थानों पर हिरासत में रहने वाले अभियुक्तों को रजाई देने का प्रावधान नहीं है । अभियुक्तों को कम्बल दिए जाते हैं । वर्ष 1997-98 में रु. 57,200/- के 286 कम्बल दिये गये हैं । थानेवाइज सूची संलग्न हैं ।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की दोषपूर्ण मतदाता–सूची

37. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में लोकसभा चुनाव वर्ष 1996 में कुल कितने मतदाता थे ? प्रत्येक मतदान केन्द्रवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) लोकसभा चुनाव वर्ष 1998 के लिये तैयार की गयी मतदाता सूची के आधार क्या-क्या हैं ?

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(3) जो मतदाता गत लोकसभा चुनावों में पात्रता रखते थे उन्हें वर्ष 1997–98 की वर्तमान सूची में से किन कारणों से हटाया गया है ?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में लोकसभा चुनाव 1996 के दौरान 1,30,277 मतदाता थे । मतदान केन्द्रवार मतदाताओं की संख्या की सूची संलग्न हैं ।

(2) दिनांक 01-01-1998 की अर्हता तिथि के आधार पर संक्षिप्त पुनरीक्षण के पश्चात् दिनांक 05-01-1998 को निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन कराया गया था । अन्तिम रूप से दिनांक 5-1-98 को प्रकाशित की गई विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के आधार पर लोकसभा चुनाव वर्ष 1998 में सम्पन्न कराया गया है ।

(3) पात्रता रखने वाले मतदाताओं का नाम सूची से नहीं हटाया गया है ।

(4) राज्य सरकार के स्तर पर इस विषय में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं, क्योंकि पात्रता रखने वाले मतदाताओं के नाम हटाये नहीं गये । वैसे भी निर्वाचक नामावलियों की तैयारी व पुनरीक्षण का कार्य भारत निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, अधीक्षण एवं निर्देशन में सम्पादित किया जाता है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार

38. **श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 (अब तक) में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर हुए अत्याचारों के सम्बन्ध में कितने मुकदमे दर्ज हुये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) अनुसूचित जाति के दूल्हों को घोड़ी पर से उतार कर उनको मारने व पीटने की अब तक कितनी घटनाएं हुई तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिये सरकार कोई विशेष कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) दर्ज अभियोगों का निस्तारण सहित विवरण परिशिष्ट "अ" संलग्न है ।

(2) वर्ष 1996 से जनवरी, 1998 तक कुल 21 घटनाएं घटित होना प्रकाश में

(गृह मंत्री)

आयी हैं जिनके सम्बन्ध में दर्ज अभियोगों में से 20 अभियोगों में अभियुक्तों के विरुद्ध चालान न्यायालय में पेश किये गये व एक अभियोग में एफ. आर. अदमवकू (गलत-फहमी) में दी गयी है। अभियोगवार विवरण परिशिष्ट "ब" एवं "स" संलग्न है।

(3) इस प्रकार की घटनाओं पर तुरन्त अभियोग दर्ज किया जाकर पुलिस उप अधीक्षक के स्तर के अधिकारी द्वारा अनुसन्धान उच्च अधिकारियों की निगरानी में किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। संवेदनशील क्षेत्रों का पुलिस अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया जाता है। असामाजिक तत्वों द्वारा इन वर्गों के सामाजिक समारोह व कार्यों में बाधा उत्पन्न करने पर कार्यवाही नहीं किये जाने पर पुलिस अधीक्षकों व कलक्टरों को उत्तरदायी ठहराया जाने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर संभाग के थानों में दर्ज प्रकरणों का निस्तारण

39. **श्री भंवरलाल शर्मा** (सरदार-शहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 1995 से दिसम्बर, 1997 तक बीकानेर संभाग के विभिन्न थानों में हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, अस्पृश्यता के कितने मुकदमे दर्ज हुए तथा कितने मामलों में चालान किया गया एवं कितने मामले लम्बित हैं? विवरण थानेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त अवधि में बीकानेर संभाग के विभिन्न थानों में हिरासत में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई एवं कितने अधिकारी इसके लिये दोषी पाये गये? दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों में से कितनों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? थानेवार एवं जिलेवार सूचना तथा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त अवधि में बीकानेर संभाग के विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमों में कितने गलत पाये गये?

उत्तर

(1) एक जनवरी, 1995 से 31 दिसम्बर, 1997 तक बीकानेर सम्भाग के जिला बीकानेर, चूरू, गंगानगर एवं हनुमानगढ़ के विभिन्न थानों में हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार एवं अस्पृश्यता के दर्ज शुदा अभियोग का निस्तारण सहित थानेवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) सम्भाग में 2 व्यक्तियों की हिरासत में मृत्यु हुई। दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों तथा चालान की स्थिति थानेवार जिलेवार सूचना एवं राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सहित परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम बीजवाड़ चौहान (अलवर) में पुलिस थाने की स्थापना

40. श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय-पाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना मुण्डावर जिला अलवर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम भोजपुरी, हुलमाना कलां, हुलमाना खुर्द, पावटी बीजवाड़ चौहान आदि का क्षेत्र हरियाणा से लगा हुआ है ? क्या उक्त ग्रामों में यातायात के साधनों का अभाव है क्या उक्त ग्राम थाना स्थल से 25-30 किलोमीटर दूर होने से वहां हरियाणा के असामाजिक तत्वों/शराबियों के जमावड़े के कारण वहां आये दिन अपराध हो रहे हैं ?

(2) क्या वर्तमान में उक्त थाने में तैनात स्टाफ थाने के क्षेत्र को देखते हुए पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों व इसे कब तक बढ़ा दिया जाएगा ? थाने के क्षेत्र में तैनात स्टाफ की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वहां की भौगोलिक/वर्तमान परिस्थितियों व थाने से दूरी को देखते हुए कस्बा बीजवाड़ चौहान में पुलिस थाना/चौकी खोलने या उक्त ग्रामों को थाना शाहजहांपुर के अन्तर्गत लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य में नये थाने खोलने के मापदण्ड/नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। ये गांव साबी नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित हैं। इन गांवों से थाना मुण्डावर के लिये सौंडावास पुल पर सड़क मार्ग से ही आना-जाना पड़ता है। सौंडावास से इन गांवों की दूरी 10–15 किलोमीटर है। यह सत्य नहीं है कि मुण्डावर थाने से दूर होने के कारण इन गांवों में अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। पड़ौसी राज्य हरियाणा में शराबबन्दी होने के कारण शराब तस्करी की छुट-पुट वारदातों के अलावा अन्य कोई गम्भीर आपराधिक घटना घटित नहीं हुई है। उपलब्ध स्टाफ से थाना क्षेत्र में प्रभावी गश्त, नाकाबन्दी कर अपराधों पर पूर्ण नियन्त्रण रखा जाता है।

(2) जी, हां। वर्तमान में इस थाने के अधीन एक पुलिस चौकी ग्राम अजरका में भी कार्यरत है। इस थाना क्षेत्र में वर्तमान में उप निरीक्षक-1, सहायक उप निरीक्षक-2, मुख्य आरक्षी-3, आरक्षी-21 कार्यरत हैं।

(3) जी, नहीं। बीजवाड़ा इस क्षेत्र के मध्य में स्थित नहीं होकर एक कोने में स्थित है एवं शाहजहांपुर थाने से बिन्दु-1 में अंकित गांवों की दूरी लगभग 25–30 किलोमीटर पड़ती है।

(4) नये पुलिस थाने 1 चौकी खोलने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मापदण्ड तय कर रखे हैं जिसकी प्रति सदन की पटल पर रख दी गई है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

(30)

थाना जमवारामगढ़ में दर्ज प्रकरण

41. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के थाना जमवा रामगढ़ में मु. नं. 199/94 दर्ज किया गया था ? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त मुकदमें की जांच कर नामजद अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो अब तक की कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि परिशिष्ट-"क" संलग्न है ।

(2) इस अभियोग के अनुसंधान में नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है । प्रकरण का अनुसंधान अभी जारी है ।

(रिपोर्ट के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

सादुलशहर (श्रीगंगानगर) में दुर्घटना से मृत्यु

42. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नवम्बर, 1997 में सादुलशहर जिला श्री गंगानगर के पास ट्रेक्टर व जीप भिड़न्त में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो वह व्यक्ति कौन था तथा पुलिस द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ? एफ. आई. आर. व पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार ने इस मृतक के परिवार को कोई आर्थिक सहायता प्रदान की है ? यदि हां, तो कब व कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार मृतक के बेसहारा परिवार के भरण-पोषण हेतु उसकी पत्नी को च. श्रे. क. के पद पर नियुक्त कर रोजगार उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । वह व्यक्ति श्री लेखराज पुत्र श्री अमीर चन्द जाति ओड राजपूत नि. वार्ड नं. 17 सादुल शहर था । पुलिस द्वारा अभियोग संख्या 373/97 अन्तर्गत धारा 304 (ए) भा. द. सं. में पंजीबद्ध कर अभियुक्त ट्रेक्टर चालक काकासिंह पुत्र श्री मालसिंह नाई निवासी रंगीया थाना शेरपुर जिला संगरूर (पंजाब) व ट्रेक्टर मालिक श्री प्रेमचन्द उर्फ प्रेम कुमार पुत्र श्री दुर्गादास जाति अग्रवाल निवासी रंगीया थाना पुलिस शेरपुर जिला संगरूर (पंजाब) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 304 (ए) भा. द. सं. व 171, 177, 170, 132/87, 3/181, 5/180 मोटर व्हिकल एक्ट 1989 में चालान दिनांक 11-12-1997 को अदालत में पेश किया । एफ. आई. आर. तथा पोस्टमार्टम की प्रति परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है ।

(गृह मंत्री)

(2) मृतक की पत्नी को 10,000/– रुपये आर्थिक सहायता दी गयी है।

(3) जी, नहीं। वर्तमान में प्रचलित नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बेगूं विधान सभा क्षेत्र को सम्पर्क सड़कें

43. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विगत 5 वर्षों में बेगूं विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा किसी सम्पर्क सड़क का निर्माण कराया गया? यदि हां, तो कौनसी सड़क का और कब तथा इस पर कितनी राशि व्यय की गयी यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि जोगणिया माताजी से रावडदा सम्पर्क सड़क खनिज क्षेत्र में आती है? यदि हां, तो क्या इस सड़क के निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, उसकी क्रियान्विति कब तक कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, हां। जोगणिया माताजी से रावडदा सम्पर्क सड़क खनिज क्षेत्र में आती है एवं इस सड़क के निर्माण की योजना सरकार के वर्ष 1998-99 के प्रस्तावों में विचाराधीन है।

मैसर्स आर. के. मार्बल, किशनगढ़ को भूखण्ड आवंटन

44. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्रार.के. मार्बल किशनगढ़ को सरकार ने कई भूखण्ड खनन के लिए प्रावंटित किये हैं? यदि हां, तो कब-कब, कहां-कहां पर कितने-कितने क्षेत्र-फल के कौन-कौन से भूखण्ड किन-किन शर्तों पर दे रखे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नियमों में शिथिलता प्रदान कर इस फर्म को भूखण्ड ग्रावंटित किये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से एवं किन नियमों के तहत व किस ग्राधार पर शिथिलता प्रदान की गयी? नियमों की प्रति विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त फर्म के साथ प्लाटों के आवंटन के बाद कोई एग्री-मेन्ट भी किया गया है? यदि हां, तो एग्रीमेन्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सर्वश्री ग्रार. के. मार्बल लिमिटेड, किशनगढ़ को सरकार ने 4 खनन पट्टा आबंटित किये हैं, जिनमें से तीन राजसमंद जिले के मोरवड ग्राम में तथा एक राजसमंद जिले के धर्मेटा ग्राम में स्थित है। मोरवड

(32)

(खनिज मंत्री)

ग्राम में 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक मार्बल खनन पट्टा रुपये 1,25,000/– वार्षिक स्थिर भाटक पर शासन के आदेश क्र. प. 10 (3) खान / ग्रुप-2/93 दि. 27-10-93 के द्वारा स्वीकृत किया गया जिसका संविदा निष्पादन व पंजीयन दिनांक 29-10-93 को हुआ। इस प्रकार यह खनन पट्टा दिनांक 29-10-93 से 10 वर्ष के लिए प्रभाव में होकर वर्तमान में चालू है। मोरवड ग्राम में ही 10,000 वर्गमीटर माप का एक मार्बल खनन पट्टा रुपये 25,000/- वार्षिक स्थिरभाटक पर खनिज अभियंता, राजसमंद–I के आदेश दिनांक 1-7-94 से 10 वर्ष के लिए प्रभाव में होकर वर्तमान में चालू है। घमेटा ग्राम में 10,000 वर्गमीटर माप का एक मार्बल खनन पट्टा रुपये 6500/- वार्षिक स्थिर-भाटक पर खनिज अभियंता, राजसमंद–I के आदेश दिनांक 16-1-95 के द्वारा उपरोक्त कम्पनी के पक्ष में हस्तांतरित हुआ जो दिनांक 6-3-95 को संविदा पंजीयन होकर दिनांक 23-11-91 से 20 वर्ष के लिए प्रभाव में होकर वर्तमान में चालू है। इस खनन पट्टा का वर्तमान वार्षिक स्थिरभाटक रुपये 40,100/– है।

मोरवड क्षेत्र में शासन के आदेश दिनांक 6-3-98 के द्वारा मार्बल खनिज हेतु चार हेक्टेयर क्षेत्र का एक अन्य खनन पट्टा बीस वर्ष की अवधि के लिए रुपये 1,20,000/- वार्षिक स्थिरभाटक पर जो प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात् नियमानुसार संशोधित किया जायेगा, स्वीकृत किया गया है।

(2) मै. आर. के. मार्बल लि. को दो खनन पट्टे नियमों में शिथिलता प्रदान कर आबंटित किये गये हैं एक शासन के आदेश के आदेश दिनांक 27-10-93 द्वारा 5 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए एवं दूसरा शासन के आदेश दिनांक 6-3-98 के द्वारा 4 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए। प्रथम खनन पट्टा स्वीकृत होने के पूर्व इस कम्पनी के पक्ष में पूर्व से कोई खनन पट्टा स्वीकृत न था, कम्पनी के पास 6 डायमण्ड गेंगसा मशीनें चालू होने के कारण वृहद् मात्रा में माइनिंग मशीनें एवं उपकरण होने के कारण पर्याप्त मात्रा में तकनीकी कर्मचारी/अधिकारी होने से कम्पनी को क्षमतानुसार पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल मिल सके इसलिए राज्य सरकार ने राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 65 के तहत शिथिलता प्रदान करते हुए यह क्षेत्र कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत किये।

दूसरा खनन पट्टा उन्हें पूर्व में स्वीकृत क्षेत्र में किये गये विकास को दृष्टिगत रख कर खनिज विकास एवं संरक्षण तथा सुनियोजित वैज्ञानिक पद्धति से मशीनरी द्वारा खनन दोहन को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 65 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत मार्बल पालिसी, 1994 के बिन्दु संख्या 3 (2) व 5 नियमों को शिथिलता प्रदान कर आवेदक का आवेदित क्षेत्र का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है।

(3) सरकार द्वारा इस कम्पनी के साथ भूखण्डों के आबंटन के बाद राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमावली,

(खनिज मंत्री)

1986 के प्रावधानों के अनुसार ही नियमानुसार संविदा निष्पादित किया गया जिसका पंजीयन भी कराया गया।

निर्वाचन क्षेत्र खंडार के गांवों हेतु सड़क निर्माण

45. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सन् 1991 में निर्वाचन क्षेत्र खंडार के घमून कलां, घमून खुर्द, बोरीफ आकोदा डांगरवाड़ा, खिदरपुरा आदौन क्यारदा खुर्द, पीपल्दात, नीमलीकलां, पीपल्या, गरडवास, सोलपुर, चौकड़ी आदि गांवों की आबादी एक हजार की हो चुकी थी ? यदि हां, तो सरकार इन गांवों को सड़कों से कब तक जोड़ने का विचार रखती है ?

उत्तर

निर्वाचन क्षेत्र खंडार के प्रश्न में उल्लेखित गांवों में से केवल नौ गांवों की जनसंख्या सन् 1991 में एक हजार से अधिक हो चुकी है। विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है। इनमें से एक गांव बोरीफ डामर सड़क पर स्थित है तथा एक गांव (क्यारदा खुर्द) को मेटल सड़क से जोड़ने का कार्य आश्वासित रोजगार योजनान्तर्गत प्रगति पर है एवं इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित है शेष 7 गांवों को सड़क से जोड़ना सड़क विकास नीति अनुसार नवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

जयपुर-किशनगढ़ हाइवे का निर्माण प्रकरण

46. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर-किशनगढ़ हाइवे नम्बर-8 पर निर्माण कार्य किस-किस कम्पनी द्वारा कितनी-कितनी दूरी का करवाया जा रहा है ? कम्पनी का नाम पंजीयन संख्या व तिथि, कार्य पूर्ण होने की अवधि तथा लागत राशि का विवरण की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग पर किलोमीटर 52 से 57 के मध्य गत वर्षों में सड़क बार-बार क्षतिग्रस्त हुयी ? यदि हां, तो उक्त समय में निर्माण सामग्री कहां से आयी एवं किस मात्रा (अनुपात) में काम में ली गयी ?

(3) क्या वर्तमान में उक्त दूरी की सड़क के निर्माण में वही सामग्री काम में ली जा रही है ? यदि नहीं, तो निर्माण सामग्री कहां से आयी एवं किस मात्रा में काम में ली जा रही है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क के निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं हुई हैं जिसकी जांच किसी सक्षम अधिकारी द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो जांच अधिकारी का नाम व पद तथा जांच के परिणामों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि कुछ निर्माण कम्पनियों द्वारा अभी तक कार्य

(श्री बाबूलाल)

शुरू ही नहीं किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस कम्पनी द्वारा ?

उत्तर

(1) जयपुर किशनगढ़ हाइवे नं.-8 किलोमीटर 266/0 से 366/0 तक में चल रहे निर्माण कार्यों बाबत विस्तृत सूची "अ" संलग्न है।

(2) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर किलोमीटर 52 से 57 राजस्थान में स्थित नहीं है, अतः इस बाबत जानकारी दिया जाना सम्भव नही है।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) जयपुर किशनगढ़ सड़क पर संलग्न सूची के अनुसार सभी निर्माण कार्य प्रगति पर हैं जिनका गुण नियन्त्रण की जांचकर कार्य स्थल पर केन्द्रीय भू-तल परिवहन मंत्रालय के निहित मापदण्ड के अनुसार ही कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है एवं किसी जांच की आवश्यकता नहीं है।

(5) ऐसा कोई कार्य नहीं है जो संवेदक को कार्यादेश देने के पश्चात् प्रारम्भ नहीं किया हो। अतः सूचना शून्य समझी जाये।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

कस्बा इटावा (कोटा) की सड़कों की मरम्मत

47. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के कस्बा ईटावा में सड़क पर गड्डे व पानी भरा रहता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस समस्या के निराकरण हेतु डी. आर. डी. ए. विभाग द्वारा राशि स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो कितनी राशि ?

(3) उक्त स्वीकृत राशि से निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जाकर पूर्ण करवा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) कोटा जिले के कस्बा इटावा में सड़क के कुछ स्थानों पर नाली की समुचित व्यवस्था नहीं होने से गड्डे हो जाते हैं व पानी भर जाता है।

(2) जी, हां। राज्य सरकार के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1996-97 में 10.00 लाख रुपये एवं जिला विकास अभिकरण द्वारा निर्बन्ध योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में 2.20 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

(3) जिला विकास अभिकरण कोटा द्वारा स्वीकृत कार्य हाल ही में चालू कर दिया गया है व स्वीकृत लागत तक कार्य 6 माह में सम्पन्न कराना प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि के अन्तर्गत कार्य वर्ष 1998-99 में बजट आबंटन के अनुसार कार्य करवाना प्रस्तावित है। कार्य मार्च, 1999 तक पूर्ण होने की संम्भावना है।

जिला बांसवाड़ा की सड़कों का डामरीकरण

48. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले के लिये सरकार द्वारा डामर सप्लाई करने हेतु कोई विशेष नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि बांसवाड़ा जिले में निर्मित होने वाली सड़कों के लिये ठेकेदार द्वारा सीधे रिफाइनरी से डामर खरीद कर लाने की नीति बनायी गयी है ?

(3) क्या अन्य जिलों में विभाग डामर की पूर्ति स्वयं करता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या बांसवाड़ा जिले की सड़कों की डामरीकरण ठेकेदार द्वारा रिफाइनरी से डामर नहीं लाने के कारण अधूरा पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो ऐसी कितनी सड़कें हैं तथा इन सड़कों के लिये विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) बांसवाड़ा जिले में निर्माणाधीन सड़कों के लिये अनुबन्ध के अनुसार डामर ठेकेदार द्वारा ही लाकर कार्य में प्रयोग की जाती है।

(3) राज्य के सभी जिलों में भी डामर की आपूर्ति ठेकेदार के द्वारा स्वयं के स्तर पर ही की जाती है। ऐसे सड़क निर्माण कार्य जिनमें डामर की आवश्यकता 50 मैट्रिक टन से कम होती है वहां डामर विभाग द्वारा आपूर्ति किये जाने का प्रावधान है।

(4) जी, नहीं। ऐसे कोई कार्य लम्बित नहीं है जो संवेदक द्वारा जानबूझ कर रिफाइनरी से डामर नहीं लाने के कारण अधूरे पड़े हो। संवेदक द्वारा रिफाइनरी में इडेंट द्वारा देने के पश्चात् कभी-कभी सप्लाई में देरी होने के कारण कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता है।

राजसमन्द जिले की सड़कों के लिये स्वीकृत राशि

49. श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1996-97 व 1997-98 में सड़कों के निर्माण हेतु राज्य के किन-किन जिलों में कितनी-कितनी राशि, किस-किस मद से आवंटित की गयी एवं कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

(2) उक्त वर्षों के दौरान राजसमन्द जिले की किस-किस तहसील की किस-किस सड़क पर, कितनी राशि, किस-किस मद से व्यय की गयी ?

उत्तर

(1) राजस्थान के जिलों में विभिन्न मदों में सड़क निर्माण हेतु वर्ष 1996-97

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

एवं 1997-98 में जिलेवार एवं मदवार आबंटित की गयी राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

(2) राजसमन्द जिले में 7 तहसीलें आती हैं। तहसीलवार विभिन्न मदों में सड़क निर्माण हेतु निम्नानुसार राशि व्यय की गयी :—

क्र. सं.	नाम तहसील	व्यय 1996-97 (लाखों में)	व्यय 1997-98 (लाखों में)
1.	राजसमन्द	86.69	121.09
2.	रेलमगरा	52.39	61.62
3.	नाथद्वारा	107.60	121.94
4.	भीम	180.64	58.20
5.	देवगढ़	43.50	19.35
6.	आमेट	88.24	505.18
7.	कुम्भलगढ़	28.22	96.26

तहसीलवार, सड़कवार, मदवार विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" में दर्शाया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर शहर के परकोटे में विभाग द्वारा कराये गये कार्य

50. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर के परकोटे के अन्दर विभाग ने दिसम्बर, 1993 से फरवरी, 1998 तक सड़क निर्माण, सड़क सुधार व अन्य क्या-क्या कार्य कराये ? कार्य व लागत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष दिसम्बर, 1993 से फरवरी, 1998 तक इस विभाग द्वारा जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में परकोटे के अन्दर, सड़क निर्माण का एक कार्य तथा विभाग के अन्तर्गत रख-रखाव की सड़कों पर सड़क सुधार के कुल पांच कार्य कराये गये, व साधारण मरम्मत के कार्य आवश्यकतानुसार करवाये गये। सड़क निर्माण, सड़क सुधार व मरम्मत कार्य का विवरण तथा उस पर किया गया व्यय संलग्न परिशिष्ट अ, ब, स में क्रमानुसार दर्शाये गये हैं।

विभाग द्वारा नगर निगम से प्राप्त जमा राशि के अन्तर्गत जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में परकोटे के अन्दर वर्ष दिसम्बर, 1993 से फरवरी, 98 तक संलग्न सूची (परिशिष्ट "द") के अनुसार सड़क सुधार का कार्य करवाया गया।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नादोती एवं टोडाभीम (करौली) सड़कों का निर्माण

51. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(1) क्या यह सही है कि करौली जिले की तहसील नादौती पाल से गढ़मोरा, गढ़मोरा से नादौती और नादौती से धौलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक करा दिया जाएगा ?

(2) क्या नादौती तहसील के गढ़ से मोर तक सड़क की स्वीकृति दी गयी है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक करा दिया जाएगा।

(3) तहसील नादौती एवं टोडाभीम में अब तक कितनी सड़कों का कहां-कहां निर्माण किया गया है कितनी सड़कों का निर्माण पूर्ण हुआ है एवं कितनी अधूरी हैं ? इन्हें कब तक पूर्ण करा दिया जाएगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त तहसीलों में किस-किस सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

(3) तहसील नादौती एवं टोडाभीम में अब तक क्रमशः कुल 85.5 एवं 170.7 किलोमीटर डामर, 8 5 एवं 16 किलोमीटर डब्ल्यू. बी. एम. एवं 16.8 एवं 23 किलोमीटर ग्रेवल सड़क का निर्माण किया गया है जिन सड़कों का निर्माण पूर्ण हो गया है उनका विवरण तहसीलवाइज परिशिष्ट-"ब" में एवं अपूर्ण सड़कों का विवरण परिशिष्ट-"स" में दिया गया तथा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है।

(4) तहसील नादौती एवं टोडाभीम की जिन सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है उसका विवरण परिशिष्ट-"द" में अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

चित्तौड़गढ़ से बेगूं की सड़क का डामरीकरण

52. **श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ से बेगूं रावत भाटा वाया भेरूं घाटी, झरिया, महादेव नन्दवाई, माधोपुर (पंचायत मुख्यालय) रोड मात्र 18 किलोमीटर कच्चा है।

(2) क्या यह भी सही है कि इस 18 किलोमीटर टुकड़े को पक्का डामरीकृत कर देने से इस रोड की दूरी 12 किलोमीटर कम हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस किफायती रोड का निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। सड़क की लम्बाई 18 किलोमीटर न होकर 14 किलोमीटर है, जिसमें से 8 किलोमीटर ग्रेवल सड़क है एवं 6 किलोमीटर कच्चा है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) चित्तौड़गढ़ से रावतभाटा वाया काटुन्दा सीधी डामर सड़क उपलब्ध है। चित्तौड़गढ़ काटुन्दा व बेगूं होते हुये रावत भाटा जाना हो तो सड़क की दूरी 136 किलोमीटर पड़ती जबकि चित्तौड़गढ़ मेरूं घाटी नन्दबई बेगूं होते हुये रावतभाटा की दूरी 126 किलोमीटर पड़ती है। अतः 10 किलोमीटर कम हो जाती है। वर्तमान में मेरूं घाटी से नन्दबई 14 किलोमीटर टुकड़े को पक्का बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कार्य की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस पर भविष्य में विचार किया जा सकता है।

सरदार शहर-गंगानगर सड़क का मरम्मत प्रकरण

53. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार-शहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरदार शहर-गंगानगर सड़क का मरम्मत कार्य नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं और इस सड़क को आवागमन के काबिल कब तक बना दिया जायेगा ?

(2) वर्ष 1996 एवं 1997 में इस सड़क की मरम्मत के लिए सरदार शहर खण्ड से कितनी राशि खर्च की गयी है ? किलोमीटरवार खर्च की गयी राशि तथा कराये गये मरम्मत कार्य का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस सड़क की मरम्मत के लिए किन-किन ठेकेदारों से कितनी-कितनी राशि का कार्य करवाया गया है ? फर्मवार, कार्य की लागत एवं भुगतान की गयी राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरदार शहर-गंगानगर सड़क पर समय-समय पर आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मरम्मत का कार्य करवाया जाता रहा है। इस सड़क पर पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है एवं वर्तमान में जो पैच/पोट होल्स हो गये हैं उनकी मरम्मत का कार्य भी प्रगति पर है।

इस सड़क पर वाहनों के अत्यधिक दबाव को देखते हुए, इस सड़क की चौड़ाई बढ़ाना एवं सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को देखते हुए राजस्थान राज्य ने जिन मार्गों एवं मुख्य जिला सड़कों जिनकी चौड़ाई बढ़ाने एवं सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है उनकी 1500 किलोमीटर लम्बाई को चिन्हित कर लिया गया है। इन चिन्हित 1500 किलोमीटर का विश्व बैंक की सहायता के तहत 1800 करोड़ रुपये की लागत का एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है जिसमें सरदार शहर-गंगानगर सड़क को भी चरण प्रथम (अ) में सम्मिलित किया गया है। इस प्रोजेक्ट का प्रथम चरण "अ" 371 किलोमीटर लंबाई का है। इस कार्य को नवीं पंचवर्षीय योजना में सम्भवतया वर्ष 2000-2001 में प्रारम्भ किये जाने की आशा है।

(2) वर्ष 1996 एवं 1997 में इस सड़क की मरम्मत के लिए सरदार शहर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

खंड से कुल निम्न प्रकार पैसा खर्च किया गया है :—

वर्ष 1996

क्र.सं	विवरण	राशि (लाखों में)
1.	साधारण मरम्मत सामग्री पर व्यय	15.25
2.	कार्य प्रभारी श्रमिकों के वेतन पर व्यय	8.50
3.	पेवर द्वारा 9 कि.मी. डामर नवीनीकरण पर व्यय	24.22
	कुल व्यय	47.96

वर्ष 1997

1.	साधारण मरम्मत सामग्री पर व्यय	15.25
2.	कार्य प्रभारी श्रमिकों के वेतन पर व्यय	9 00
2.	पेवर द्वारा 6 कि.मी. डामर नवीनीकरण पर व्यय	16 44
	कुल व्यय 40.69 लाख रु.	

किलोमीटरवार पैसे का हिसाब एवं कराये गये कार्य का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर अंकित है।

(3) इस सड़क की मरम्मत के लिए ठेकेदारों से कराये गये कार्यों की लागत एवं भुगतान की राशि का विवरण परिशिष्ट-"ब" में अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

तहसील खैरवाड़ा (उदयपुर) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दान में प्राप्त सामान

54. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नया गांव, तहसील खैरवाड़ा, जिला उदयपुर में दानदाताओं द्वारा उपकरण एवं अन्य साज-सामान दिया गया है ? यदि हां, तो क्या-क्या एवं किस-किस के द्वारा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्राप्त उक्त सामग्री की स्टॉक एन्ट्री की गयी है ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या उक्त सामग्री का उपयोग चिकित्सालय एवं मरीजों हेतु हो रहा है ?

(4) क्या इसका भौतिक सत्यापन किया गया है ? यदि हां, तो कब-कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। दानदाता श्री बदामीलाल निवासी नया गांव द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नया गांव, तहसील खैरवाड़ा हेतु दान सामान उपलब्ध करवाया गया है विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(40)

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

(2) जी, हां। प्रश्न के भाग एक की तालिका में अंकित किया गया है।

(3) जी, हां। दान से उपलब्ध सामान का उपयोग चिकित्सालय एवं रोगियों हेतु किया जा रहा है।

(4) जी, हां। भौतिक सत्यापन दि. 22-5-98 को किया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

राज्यों में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

55. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-**

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में 1-4-1997 से 28-2-1998 तक नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सालय, डिस्पेन्सरी खोले गये ? यदि हां, तो तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों के खोले जाने का सरकार ने क्या मानदण्ड रखा है और उक्त मानदण्डों के अनुसार अभी कितने-कितने केन्द्र कहां-कहां खोले जाना शेष है ?

(3) क्या गत तीन वर्षों में मलेरिया या अन्य मौसमी बीमारियों से पीड़ित रोगियों की संख्या का ध्यान स्वास्थ्य केन्द्रों के विस्तार में रखा गया है ? यदि हां, तो उस आधार पर किन-किन स्थानों पर किस-किस सुविधा का विस्तार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार की स्वास्थ्य सुविधा विस्तार की कोई नीति घोषित है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 1-4-97 से 28-2-98 तक नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण एवं शहरी) तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र ही खोले गये हैं। नवीन खोले गये संस्थानों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) सामान्य क्षेत्रों में प्रति पांच हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक उप केन्द्र तथा जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में प्रति 3,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक उप केन्द्र स्थापित किये जाने का भारत सरकार द्वारा मापदण्ड निर्धारित है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक संस्थान किसी भी एक चिकित्सा पद्धति तथा एलोपैथिक/आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक खोलने की विधान सभा में घोषणा की गयी है। सामान्य क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रति 30,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक केन्द्र सामान्य क्षेत्रों में तथा प्रति 20,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थापित करने का मापदण्ड निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एक प्रति पंचायत समिति एक लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर खोले जाने का मापदण्ड निर्धारित है। अन्य शहरी चिकित्सा संस्थानों के खोलने हेतु भारत सरकार द्वारा कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

अतः संस्थान वित्तीय संसाधन, भौगोलिक परिस्थिति एवं स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए खोले जाते हैं।

(3) जी, नहीं। प्रश्न के भाग 2 में दर्शाये जनसंख्या मापदण्डों तथा घोषणा के अनुरूप ही नवीन संस्थान खोले जाते हैं।

(4) जी, हां। प्रश्न के भाग संख्या 2 में अंकित मापदण्डों के अनुरूप ही यथा सम्भव स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किये जाने की राज्य सरकार की नीति है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला नागौर के चिकित्सालयों में एक्स-रे मशीनें

56. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में कौन-कौन से अस्पताल में सरकार की तरफ से एक्स-रे मशीनें लगी हुई हैं और उनमें से कौन-कौन सी कब-कब से खराब पड़ी हैं ? खराब रहने के कारणों सहित, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला नागौर में निजी एक्स-रे मशीन लगी हुई है ? यदि हां, तो कितनी व कहां-कहां पर तथा कितनी मशीनें चालू हालत में हैं ?

(3) उक्त जिले में एक्स-रे तकनीशियनों के कितने पद कहां-कहां पर हैं और कहां-कहां पर पद रिक्त हैं और इस समय किस-किस अस्पताल में एक्स-रे तकनीशियन पद स्थापित हैं ?

उत्तर

(1) जिला नागौर के अस्पतालों में सरकार की तरफ से लगी हुई एक्स-रे मशीनों का विवरण एवं उनमें से खराब पड़ी मशीनों का कारण, अवधि सहित विवरण सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) निजी क्षेत्र में संचालित एक्स-रे मशीनों पर विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है। फलस्वरूप निजी संस्थानों द्वारा विभाग को एक्स-रे मशीनें ठीक रहने, खराब रहने आदि की सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है।

(3) जिला नागौर में एक्स-रे तकनीशियनों के स्वीकृत पद, कार्यरत एवं रिक्त पदों की मय समय अवधि के सूची संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय चिकित्सालय मुण्डावर (जिला अलवर) में अनियमितता

57. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा), **श्री इन्द्रसिंह पूनिया** (सादुलपुर) एवं **श्री कुबेर सिंह** (फतासिया) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री महावीर भगोरा)

(1) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय, मुण्डावर, जिला अलवर में वर्ष 1994 के एम. एल. सी./एम. एल. आर. के स्थायी रिकार्ड रजिस्ट्रर क्रमांक 51 से 100 तक गायब करने सम्बन्धी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो रिकार्ड गायब होने की पुलिस में एफ. आई. आर. कब दर्ज करायी गयी एवं नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त प्रकरण में कौन-कौन दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो कारण दर्शाते हुए विवरण एफ. आई. आर. की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चिकित्सालय में दिनांक 15 नवम्बर, 1994 से 30 नवम्बर, 1994 तक एक पखवाड़े की अवधि में किस-किस दिनांक को, किस-किस की एम. एल. सी./एम. एल. आर. तैयार की गयी? तैयार की गयी समस्त एम. एल. सी./एम. एल. आर. की छाया प्रतियों सहित प्रत्येक का विवरण निम्नानुसार सदन की मेज पर रखें :—

1. दिनांक
2. रजिस्टर संख्या व क्रमांक
3. रोगी/घायल का नाम, जिसकी एम. एल. सी./एम. एल. आर. तैयार की गयी
4. एम. एल. सी./एम. एल. आर. जारी करने का दिनांक
5. जारी न होने के कारण
6. उक्त अवधि में कुल तैयार की गयी एम. एल. सी/एम. एल. आर. की संख्या
7. उक्त अवधि में जारी एम. एल. सी./एम. एल. आर की संख्या।

उत्तर

(1) जी, नहीं। राजकीय चिकित्सालय, मुण्डावर में एम एल. सी./एम. एल. आर. के लिए क्रम संख्या 1 से 50 तक की बुक दी गयी थी एवं उसके बाद बुक उपलब्ध न होने के कारण सामान्य परिपत्रों में एम एल. सी./एम. एल. आर. तैयार की गयी। दिनांक 15-11-94 से 30-11-94 तक जो भी एम. एल सी./एम. एल. आर. हुई है। उसमें से बुक के क्र. सं. 47 से 50 तक एवं बाकी सामान्य परिपत्रों पर तैयार की गयी थी। पृष्ठ सं. 51 से 100 तक की एम एल. सी./एम. एल. आर. की बुक राजकीय चिकित्सालय, मुण्डावर को वर्ष 1994 में उपलब्ध नहीं करायी। राजकीय चिकित्सालय, मुण्डावर को दूसरा रजिस्टर क्र. सं. 1 से 100 तक दिनांक 28-4-97 को दिया गया।

अतः उसके गायब होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता तथा एफ. आई. आर. दर्ज कराने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(2) भाग एक के प्रत्युत्तर के अनुसार प्रकरण में कोई दोषी नहीं पाये जाने के कारण कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(3) उक्त चिकित्सालय में दिनांक 15-11-94 से 30-11-94 तक की अवधि

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

में तैयार की गयी एम. एल. आर /एम. एल. सी. का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति भीम व देवगढ़ (राजसमन्द) के चिकित्सालयों में रिक्त पद

58. **श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजसमन्द जिले में भीम व देवगढ़ पंचायत समिति के किस-किस उप स्वास्थ्य केन्द्र/एड पोस्ट/चिकित्सालय/रेफरल अस्पताल में कौन-कौनसा पद कब से रिक्त है ?

(2) अब सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले में भीम व देवगढ़ पंचायत समिति के उप स्वास्थ्य केन्द्र/एड पोस्ट/चिकित्सालय/रेफरल अस्पताल में रिक्त पदों की सूची पद रिक्त होने की अवधि सहित संलग्न है।

(2) कनिष्ठ विशेषज्ञ, गायनी एवं वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों के पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में चयन होने के उपरान्त भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

चिकित्साधिकारियों के पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध होने के उपरान्त भरा जायेगा।

मेल नर्स-II, सिटर, स्टाफ नर्स, डेण्टल टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, प्रसाविका के रिक्त पदों को प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने के उपरान्त ही भरा जायेगा।

वाहन चालक, एस एम. पी डब्ल्यू. एफ. डब्ल्यू के रिक्त पदों को भरने हेतु राज्य सरकार द्वारा वेतन शृंखला 1 से 6 तक के पदों पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। अतः प्रतिबन्ध समाप्त होने के बाद ही भरा जाना सम्भव होगा।

सीनियर लैब टेक्निशियन, बी.एच एस. मेल, मलेरिया निरीक्षक, सेक्टर सुपरवाइजर, वरिष्ठ लिपिक के पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में चयन होने के उपरान्त भरने की कार्यवाही की जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

पंचायत समिति मेंसरोड़गढ़ में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

59. **श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़ के ग्राम जावदा (नीमड़ी) में और इससे 50 किलोमीटर की परिधि में एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में जहां

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

पांच ग्राम पंचायतें हैं उनमें वर्ष 1998-99 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, नहीं। पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ में मापदण्ड के अनुसार निर्धारित दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विरुद्ध वर्तमान में चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। अतः वर्ष 1998-99 में ग्राम जावदा (नीमड़ा) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 30,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर खोला जाता है।

ग्राम पंचायत इन्दरपुर (अलवर) में स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

60. श्री कुबेर खान (रामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय/क्षेत्रों में कम से कम एक उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोला जा चुका है ?

(2) क्या जिला-अलवर में अभी तक भी उप स्वास्थ्य केन्द्रविहीन कोई ग्राम पंचायत है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ग्राम पंचायत-इन्दरपुर, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, जिला-अलवर में अब उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा जिन ग्राम पंचायतों के किसी ग्राम में चिकित्सा विभाग का उप केन्द्र, आयुर्वेद विभाग का आयुर्वेद चिकित्सालय या युनानी चिकित्सालय स्थापित नहीं है वहां उप केन्द्र खोले जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है।

(2) जी, नहीं।

(3) ग्राम पंचायत इन्दरपुर के क्षेत्र में ग्राम हसनपुर में उप केन्द्र स्वीकृत हैं। अतः ग्राम इन्दरपुर में उप केन्द्र खोले जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

भर्तृहरि पाण्डुपोल की सम्पर्क सड़कों की मरम्मत

61. श्री कुबेर खान (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला अलवर के धार्मिक स्थल भर्तृहरि एवं पाण्डुपोल की सम्पर्क सड़कों को चौड़ी एवं उनकी मरम्मत करा दी गयी है ? यदि हां, तो इन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें और यदि नहीं, तो अब कब तक करा दी जायेगी ?

उत्तर

ये सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग के रख-रखाव की सूची में है एवं समय-समय पर आवश्यकतानुसार मरम्मत की जाती रही है। वर्तमान में इन सड़कों को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपरोक्त दोनों मार्गों की मरम्मत का कार्य करवा दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में भर्तृहरि/पाण्डुपोल की सड़कों पर क्रमशः 10 269/- रुपये व 15,32,390/- रुपये व्यय किये गये हैं। वर्तमान में यातायात दबाव को देखते हुए उपरोक्त दोनों सड़कों को चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है।

65 वर्ष के वृद्धों को पेंशन

62. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में 65 वर्ष तक के वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन देने की योजना केन्द्र सरकार की है ? यदि हां, तो उसका क्या मानदण्ड है ?

(2) क्या राज्य में इस योजना को लागू किया गया है ? यदि हां, तो अब तक कितने वृद्ध लोगों को पेंशन दी जा चुकी है ? जिले पंचायत समिति तथा नगरपालिका क्षेत्रवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि भारत सरकार को 65 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित स्त्री/पुरुषों को 75/- रुपये प्रति माह पेंशन देने की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 15-8-95 से आरम्भ है। इस योजना के मापदण्ड निम्न प्रकार है :—

1. आवेदक की आयु (पुरुष अथवा महिला) 65 वर्ष या इससे अधिक होगी।
2. असहाय/निराश्रित हो।

(2) जी, हां। यह योजना राज्य में भी लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 68,908 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। जिलेवार सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के लिए संचालित योजनाएं

63. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए कौन-कौनसी योजनाएं कब-कब से संचालित है ? योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सुधार हेतु अब सरकार क्या-क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन एवं सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :—

46

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

क्र.सं.	योजना व योजना संचालन का वर्ष	योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सुधार हेतु किये गये प्रयास
	(अ) शैक्षणिक विकास कार्य में महत्वपूर्ण कदम :	
1.	छात्रावास सुविधा (1952-1953)	विभाग द्वारा अनु. जाति एवं जनजाति हेतु सभी जिलों में राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास चलाये जा रहे हैं। इन छात्रावासों में आवास, भोजन, वस्त्र आदि तथा चयनित छात्रावासों में व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाती हैं। दिनांक 1-7-95 से छात्र-छात्राओं के मैस-भत्तों में 250/- रु. से वृद्धि कर 350/- रु. प्रतिमाह प्रति छात्र किये गये हैं। विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में आवश्यकतानुसार भवनों की मरम्मत एवं देखभाल पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया। इनमें आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु सामान उपलब्ध करवाने के लिये वर्ष 1997-98 में एकीकृत पेकेज प्रोग्राम तहत आयोजना मद से विशेष अतिरिक्त राशि जुटायी गयी है। किराये के भवन में संचालित छात्रावासों की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुये संशाधनों की उपलब्धतानुसार छात्रावास भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से अधिक से अधिक राशि प्राप्त की जा रही है। तथा संस्थागत ऋण लेने का भी प्रयास किया जायेगा। छात्रावास अधीक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु अपेक्षित कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। छात्रावास अधीक्षकों की कार्य शैली में निपुणता लाने के लिये उनको नियमित प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गयी है। छात्रावासों में गुणात्मक सुधार हेतु छात्रावासों को सुसंस्कार केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा पर्यावरण सुधार हेतु छात्रावासों में साफ-सफाई के अतिरिक्त वृहद स्तर पर वृक्षारोपण भी करवाया गया है। छात्रावासों में अध्ययनरत प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं तथा प्रशिक्षण स्तर में सुधार हेतु निःशुल्क कोचिंग की भी व्यवस्था की गयी है।

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

1	2	3
2.	छात्रवृत्ति सुविधा (1954)	कक्षा 6 से 10 तक की कक्षाओं में अध्यन करने वाले छात्र-छात्राओं जिनके अभिभावक आयकरदाता नहीं हैं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृति स्वीकृत की जाती है। पूर्व में ये छात्रवृति केवल 1500 से 2000/- रुपये मासिक तक के आय वालों के अभिभावकों के बच्चों को प्रदान की जाती थी। स्वच्छकारों के बच्चों को भी मैट्रिक पूर्व शिक्षा अर्जित करने के लिये वर्ष 1992-93 से ये छात्रवृति दी जाती है। जिन छात्र-छात्राओं को बोर्ड में 55% या अधिक अंक प्राप्त होते हैं, उन्हें पब्लिक स्कूल में पढ़ाने हेतु वर्ष 1994-95 में विशेष छात्रवृति स्वीकृत की जाती है। व्यावसायिक कालेजों तथा 10+2 के विद्यालयों में अध्ययन करने वाले उन छात्र-छात्राओं को जिनके परिवारों की वार्षिक आय 44,500/- रुपये से कम है को उत्तर मैट्रिक छात्रवृति दी जाती है। दिनांक 1-10-95 से उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु दी जा रही छात्रवृति की राशि में बढ़ोतरी कर श्रेणीवार 90/- से 425 रुपये प्रतिमाह कर दी गयी है जो कि पूर्व में 65/- से 280/- रुपये प्रतिमाह थी। पूर्व में मैट्रिक छात्रवृति के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से वर्ष 1996-97 से यह छात्रवृति शिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही है।
3.	बुक बैंक योजना : (1978–79)	राज्य के विभिन्न तकनीकी कालेजों में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं की महंगी पुस्तकें सन्दर्भ हेतु निःशुल्क उपलब्ध करवाने की दृष्टि से बुक बैंक योजनान्तर्गत सम्बन्धित कालेजों की लाइब्रेरी में पुस्तकें उपलब्ध करवायी जाती हैं।
4.	आवासीय विद्यालय : (1997-98)	अनुसूचित जाति के छात्रों को उत्तर गुणवत्ता तथा उनके सर्वोपरि विकास हेतु राज्य के टोंक शहर में छात्रायें हेतु व बारां जिले के अटरू में छात्रों हेतु आवासीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बाह्य सहायता से 12 आवासीय विद्यालयों का निर्माण

(48)

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

1	2	3
		कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। प्रथम चरण में वर्ष 1998–99 में बांसवाड़ा कोटा व जालोर में बालिकाओं हेतु तथा डूंगरपुर जिले में बालकों हेतु आवासी विद्यालय निर्मित कराये जायेंगे।
5.	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना (1991–92)	विभिन्न विषय विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त कर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों हेतु 38 पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यार्थियों को विभिन्न स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक से अधिक सफल बनाने का कार्य किया जा रहा है।
6.	शिक्षण से स्वावलम्बन योजना (1993–94)	राजकीय छात्रावासों में रह रहे छात्र छात्राओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। इसमें कई नवीन ट्रेड्स जैसे कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु आदि जोड़े जा रहे हैं तथा पूर्व संचालित कार्यक्रम जैसे :— सिलाई, कढ़ाई, टाइपिंग आदि में अपेक्षित सुधार लाया जाकर नियमित बनाया जा रहा है।
7.	कोचिंग व्यवस्था (1997–98)	राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति निगम के माध्यम से इंजीनियरिंग एवं मेडिकल टेस्टों अर्थात् आई. आई. टी., पी. एम. टी., पी. ई. टी. आदि की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त मेडिकल तथा इंजीनियरिंग में अध्ययन हेतु अध्यनरत छात्र-छात्राओं को 40,000/- रुपये का ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था की गयी है।
	(ब) आर्थिक विकास के कार्य :	
1.	विशिष्ट संघटक योजना (1979–80)	अनुसूचित जाति की गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे परिवारों के आर्थिक विकास हेतु विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्विति विकासीय योजनाओं में अनुसूचित जाति को जनसंख्या के अनुपात में प्रावधान करवाया जाकर लाभान्वित किया जा रहा है। उक्त प्रवाह जनसंख्या के अनुपात में सुनिश्चित किये जाने हेतु

~~(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)~~

1	2	3
		सभी विभागों में विशिष्ट संघटक योजना का अलग से कष्ट उप शीर्ष खुलवाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। 20 सूची कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति की न्याय के अन्तर्गत सभी विभागों को जिलों को आर्थिक सुधार की योजनाओं में लाभान्वित करने हेतु लक्ष्यों का निर्धारण कर उनकी प्राप्तियों हेतु पाबन्द किया जाता है। आधारभूत सुविधाओं के विकास की दृष्टि से राज्य में अनुसूचित जाति की 50% से अधिक जनसंख्या वाले सम्बल ग्रामों में समग्र विकास हेतु सम्पर्क सड़कें पेयजल सुविधा चिकित्सा आदि उपलब्ध करवायी जा रही है। वर्तमान वर्ष में 150 सम्बल ग्रामों में सामुदायिक भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है। लगभग इतनी ही संख्या में 88-89 में भी सामुदायिक भवनों का निर्माण करवाया जायेगा। हरिजन बस्तियों में विकास की दृष्टि से पीने के पानी की सुविधा विशेष रूप से मुहैया करवायी जा रही है। इन बस्तियों में विद्युतीकरण कार्य भी त्वरित गति से किया जाकर लाभान्वित किया जा रहा है।
2.	व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का क्रियान्वयन (1980-81)	राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति निगम के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के तहत अनुदान एवं ऋण उपलब्ध करवाकर उन्हें स्वरोजगार की ओर प्रेषित कर आत्मनिर्भर बनाया जाता है। आगामी वर्ष में इन योजनाओं के क्षेत्र को अधिक विस्तृत कर अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित किया जायेगा। उनमें गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास किया जायेगा, तथा प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक सुचारू बनाया जायेगा। इन जाति के परिवारों को कम ब्याज पर ऋण द्वारा आर्थिक संसाधन जुटाने के लिये राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय निगमों को पूर्व में प्रदत्त 2 करोड़ रुपये की गारन्टी के अतिरिक्त 7 करोड़ रुपये की राशि की अतिरिक्त गारन्टी

1	2	3
		दी गई है। निगम द्वारा संचालित सैल्फ हैल्प ग्रुप्स "योजना तहत राज्य के 100 सम्बल ग्रामों में पुरुषों एवं महिलाओं के सैल्फ हैल्प ग्रुप्स" कायम किये जाने का तय किया गया है। उनके द्वारा जुटायी गयी राशि के बराबर निगम द्वारा कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवायी जाकर आर्थिक संशाधन जुटाये जा रहे हैं। निगम को विभिन्न जातियों के विकलांगों के कल्याण बेनेलाईजिंग एजेन्सी नियुक्त किया जाकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा निगम के माध्यम से सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति एवं उनके पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। निगम द्वारा स्वच्छकारों को एक से 6 माह की अवधि का प्रशिक्षण प्रदान करवाया जाता है तथा प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को 350/- रुपये प्रतिमाह वृतिका एवं 75/- रुपये प्रतिमाह कच्चे माल हेतु उपलब्ध करवायी जाती है तथा प्रशिक्षण समाप्ति पर 800/- रुपये तक का टूल किट दिया जाता है साथ ही उनके पुनर्वास हेतु अपेक्षित सहायता सुलभ करायी जाती है।
	(स) सामाजिक उत्थान तथा सुरक्षा	
1.	आयोग का गठन (1998-99)	अनुसूचित जाति जनजाति के अत्यधिक पिछड़े व्यक्तियों को आरक्षण देने एवं उनके आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु क्रियात्मक सुझाव देने के लिये एक सदस्यीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन भी तय किया गया है।
2.		अनुसूचित जाति तथा जनजाति के परिवारों को विकास की विभिन्न योजनाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त कर अर्थोपार्जन के साथ ही सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठत एवं सुरक्षित जीवन बिताने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से राज्य में नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनके मुकदमों का त्वरित

1	2	3
		गति से निपटारा करने हेतु राज्य में विभिन्न स्थानों पर विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम, 1989 की अनुपालना की जा रही है। इसके अतिरिक्त पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था भी की गयी है।

(द) समाज कल्याण की योजना

1.	विकलांग कल्याण	विभाग द्वारा विकलांग कल्याण की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसके तहत विकलांग व्यक्तियों को शारीरिक रूप से सक्षम बनाने की दृष्टि से केलीपर्स, श्रवण, यंत्र, टेपरिकार्डर आदि यंत्र उपलब्ध करवाये जाते हैं तथा स्वरोजगार हेतु 2000/- रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। विकलांग व्यक्तियों को जो किसी प्रकार का रोजगार करने में असमर्थ है उन्हें 100/- रुपये प्रतिमाह की पेंशन उपलब्ध करवायी जाती है। विकलांग छात्र-छात्राओं को जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 40,000/- रुपये तक है उन्हें अध्ययन हेतु 40/- रुपये से 240/- रुपये प्रति माह तक की छात्रवृति उपलब्ध करवायी जाती है। साथ ही दृष्टि-बाधित मूकबधिर आदि को निःशुल्क पुस्तकें भी उपलब्ध करवायी जाती हैं। वर्ष 1997-98 में विकलांगों के नीजि क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य के औद्योगिक शहरों में विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण दिलाया जाकर रोजगार सुलभ करवाया जा रहा है। राजकीय बसों में विकलांगों को विशेष रियायत दी जा रही है। विकलांगों के लिये पृथक से खेलकूद कार्यक्रम कराये जा रहे हैं। इसके साथ ही इनके लिये आई. टी. आई. केन्द्र खोले जाने की योजना तैयार की गयी है। वर्ष 1997-98 से 4 संभागीय मुख्यालयों में जिला पुनर्वास केन्द्र आरम्भ किये गये हैं। इनके वैवाहिक परिचय सम्मेलन आयोजित किये गये हैं तथा विवाह सूत्र

1	2	3
		में बंधने वाले दम्पत्ति को 5000/– रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवायी जाती है। इन्हें संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से विकलांग सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1995 लागू किया गया है।
2.	बालक कल्याण	बाल कल्याण की विभिन्न योजनाओं तहत निराश्रित गृह अनाथालय एवं शिशु गृह आदि विभाग द्वारा तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं। इनमें अध्ययनशील छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था भी की गयी है। बाल कल्याण सुरक्षा की दृष्टि से किशोर न्याय अधिनियम, 1986 का क्रियान्वयन किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 सम्प्रेक्षण गृह, 4 किशोर गृह, एक बालक गृह एवं एक विशेष विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं।
3.	महिला कल्याण	महिलाओं के कल्याण हेतु विभाग द्वारा राज्य महिला सदन एवं विमंदित/बालक पुनर्वास केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कामकाजी महिलाओं हेतु अल्पावास केन्द्र केन्द्रीय सहायता से संचालित किये जा रहे हैं। विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता जुटाने की दृष्टि से प्रति पुत्री के विवाह पर 5,000/– रुपये तक की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। निराश्रित विधवाओं को 100/– रुपये प्रतिमाह तक की पेंशन उपलब्ध करवायी जाती है।
4.	वृद्ध व अशक्त कल्याण	सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से वृद्धों एवं अशक्तों हेतु आवासीय गृह संचालित किये जा रहे हैं। जिनमें निःशुल्क आवास भोजन वस्त्र चिकित्सा आदि की सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है। वर्ष 1997–98 से वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र भी संचालित किये जा रहे हैं। निराश्रित वृद्धों को 100/– रुपये प्रतिमाह तक की पेंशन तथा दम्पत्तियों को 150/– रुपये प्रतिमाह की पेंशन उपलब्ध करवायी जाती है।

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

1	2	3
5.	अन्य कार्य	इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा सामाजिक सुधार के भी अनेक कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं, जिनमें नशामुक्ति कार्यक्रम, दहेज, निषेध आदि कार्यक्रम प्रमुख हैं। गाड़िया लुहारों के परिवारों को स्थाई रूप से बसाने हेतु आवासीय भूखण्डों के निःशुल्क पट्टे उपलब्ध करवाये जाते हैं तथा आवास निर्माण हेतु 5,000/- रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी जाती है। इन्हें अपने व्यवसाय हेतु कच्चे माल हेतु आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवायी जाती है। इस प्रकार से विभाग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों के चहुंमुखी कल्याण एवं विकास की ओर सतत् प्रयत्नशील है।

जिला सवाईमाधोपुर के कृषकों को मुआवजा

64. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : क्या सहायता एवं पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई-माधोपुर में दिनांक 7-12-97 को भारी ओलावृष्टि हुयी थी, जिससे किसानों की फसलें पूर्णतया नष्ट हो गयी है ? यदि हां, तो किन-किन गांवों में ओलावृष्टि हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त किसानों को फसल नष्ट होने का मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन किसानों को कितना-कितना ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन गांवों को अकालग्रस्त घोषित करके किसानों को रोजगार देना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला सवाईमाधोपुर के 125 गांवों में ओलावृष्टि से फसलों को 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक का नुकसान हुआ। ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामों की सूची सदन के पटल पर रख दी है। (परिशिष्ट-1)

(2) फसल नष्ट होने पर सहायता के बतौर इनपुट सब्सिडी (कृषि आदाम अनुदान) की राशि दी जाती है, मुआवजा दिये जाने की नियमों में व्यवस्था नहीं है। प्रभावित गांवों में जिन कृषकों को सहायता दी गयी है उनकी संख्या परिशिष्ट-1 में दी गयी है। इस प्रकार 13194 कृषकों को 93.82 लाख रुपये की सहायता दी गयी है।

(3) नियमानुसार अभाव घोषणा राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील पीपल्दा के कृषकों को मुआवजा

65. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सहायता एवं पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या दिसम्बर, 1997 में तहसील पीपल्दा के अधिकांश गांवों में ओलावृष्टि से किसानों की सरसों, गेहूं, सोयाबीन की फसलों की क्षति व मकान गिरने तथा धन-की हानि हुयी है ? यदि हां, तो कितने गांवों में कितना-कितना नुकसान हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ओला-वृष्टि से पीड़ित किसानों का प्रशासन द्वारा सर्वे किया जाकर किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया करायी गयी है ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम के किस-किस किसान को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ? नाम व राशि सहित, विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि हल्का पटवारियों द्वारा सर्वे गलत करने की शिकायतें भी प्रशासन को प्राप्त हुयी है ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्य-वाही की गयी ?

(4) क्या ओलावृष्टि में गलत सर्वे के कारण जिन किसानों को आर्थिक सहायता नहीं मिल पायी है उन किसानों का पुनः सर्वे करवाकर सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने का विचार रखती है ।

उत्तर

(1) जी, हां । कोटा जिले की तहसील पीपल्दा में ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट-1)

(2) जी, हां । ग्राम अनुसार उपलब्ध करायी गयी राशि का विवरण संलग्न है । (परिशिष्ट-1)

(3) तहसील क्षेत्र पीपल्दा के कुछ किसानों द्वारा प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने पर ग्रामों का पुनः सर्वे कराये जाने पर 247 किसानों के फसलों एवं 46 किसानों के मकानों का अतिरिक्त नुकसान होना पाया गया । इस प्रकार कुल 293 किसानों को 2.50 लाख रुपये की राशि की सहायता वितरण हेतु आबंटित कर दी गयी है ।

(4) पुन: सर्वे में पाये गये 293 अति-रिक्त किसानों को 2.50 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराने हेतु राशि आबंटित कर दी गयी है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(12.20 बजे)

(पुन: समवेत होने पर)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अनुरोध

माननीय सदस्य श्री भरतसिंह पर हमला एवं उन द्वारा आत्मदाह की घोषणा के संबंध में वक्तव्य दिलाने का अनुरोध

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (उप नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, कागज तो आपकी टेबल पर है, फिर भी देख लीजियेगा, कृपया हमारा भी थोड़ा हक है उसमें हमें बोलने का अधिकार तो दीजियेगा । आखिर प्रतिपक्ष की भी कोई इस सदन में भूमिका

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

होती है। भारत के भावी प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारीजी वाजपेयी कहते हैं कि जहां सरकारी पक्ष मजबूती से सरकार चलायेगा वहां विपक्ष भी भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका स्थायी सरकार देने में होगी। एक तरफ तो उनके ये विचार हैं और दूसरी तरफ यहां आप बैठे-बैठे हमारी आवाज का गला घोटना चाहते हैं। आखिर करना क्या चाहते हो आप इस देश में ? प्रजातंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं ? (व्यवधान) आखिर हम यहां आते किसलिये हैं ? (व्यवधान) महावीरजी, बैठियेगा आप मेहरबानी करके।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, ये कौनसे प्रजातंत्र को जिंदा रख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : उपाध्यक्ष महोदय, बिना आपकी परमिशन के कैसे बोल सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना करना प्रजातंत्र है ? (व्यवधान)

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : माननीय उप नेता ने अभी क्या बात कही है, फिर भी यह कह रहे हैं कि हमें बोलना है। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अलाउ किया नहीं है इनको।

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, बोलने का अधिकार नेता महोदय को है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारी पार्टी के लीडर बोल रहे हैं, आप खामोशी से सुनिये।

एक माननीय सदस्य : लोकतंत्र की परम्पराओं को कायम रखिये। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं तो हम आपके लीडर को भी बोलने नहीं देंगे। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत नहीं हुई है अभी।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं फिर भी प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बिना इजाजत के बोलना गैर-कानूनी है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : शक्तावत साहब अपनी बात कहना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, शक्तावत साहब को बोलने दिया जाए। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नेता शक्तावत साहब को बोलने दिया जाए। शक्तावत साहब खड़े हैं।

एक माननीय सदस्य : विधान सभा के नियमों के अनुसार, उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष की.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस सदन का दुरुपयोग है, ये विशेषाधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। + + + (व्यवधान)....

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)....

श्री कालूलाल गूजर : व्यवस्था को चैलेंज करते हैं, उसको नहीं मानते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये आसन की अवहेलना कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस का दुरुपयोग करने का प्रयास है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : लगातार अवहेलना कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : बैठिये-बैठिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा : सदन का दुरुपयोग किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : बैठिये। आपका कोई अधिकार नहीं है, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : आसन की अवहेलना करते हैं और प्रजातंत्र की बात करते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आसन की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, बिना किसी कारण के बोलने का अधिकार नहीं है। सदन + + + नहीं है विपक्ष की जो मर्जी आये जैसे सदन को चलाये, मर्जी आये जो सदन में बोले। यह इनका अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : राजस्थान की जनता के सदस्यों की अवहेलना कर रहे हैं....

श्री कालूलाल गूजर : आसन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और प्रजातंत्र की बात करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये।

अनुपस्थिति के लिए अनुमति।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी बात का क्या हुआ ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारे नेता महोदय को बोलने दिया जाए। (व्यवधान) नेता महोदय।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति श्री ज्ञानसिंह चौधरी, कृषि राज्य मंत्री एवं श्री राजपाल सिंह शेखावत, सदस्य विधान सभा को क्रमशः 9 मार्च से 11 मार्च, 1998 एवं 3 मार्च से 14 मार्च, 1998 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने बाबत अनुमति

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री ज्ञानसिंह चौधरी कृषि राज्य मंत्री ने सड़क दुर्घटना

+ + + शब्द/अभिव्यक्तियां अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयीं।

(श्री उपाध्यक्ष)

में उनकी पत्नी एवं बच्चे का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण दिनांक 9 मार्च, 1998 से 11 मार्च, 1998 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की दी जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी। (व्यवधान)

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री राजपाल सिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा ने लन्दन में हो रही राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ की संगोष्ठि में भाग लेने के कारण दिनांक 3 मार्च, 1998 से 14 मार्च, 1998 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की दी जाए ?

(स्वीकृति)

अनुमति प्रदान की गयी। (व्यवधान)

अनुरोध

माननीय सदस्य श्री भरतसिंह पर हमला एवं उन द्वारा आत्मदाह की घोषणा के सम्बन्ध में वक्तव्य दिलाने का अनुरोध

एक माननीय सदस्य : पहले हमको बोलने का अवसर दिया जाए।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, विधायकों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं.... (व्यवधान) उनकी जान को जिस तरह से खतरा पैदा हो रहा है... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से कार्यवाही सदन की नहीं चलेगी। (व्यवधान) सदन की कोई भी कार्यवाही इस तरह से नहीं चल सकती है। हमारे नेता गुलाब सिंहजी शक्तावत बोलना चाहते हैं, शक्तावत साहब को बोलने का मौका दिया जाए। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लेकर हाउस को चलाने की कृपा करें। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : + + +

श्री परसादीलाल मीणा : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी बात सुनिये।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में आकर नारेबाजी)

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्तियां अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(58)

श्री राजेन्द्र पारीक : + + + (व्यवधान).... बिजली, पानी दे न सके....

अनेक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। आसन पैरों पर है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारे उप नेता महोदय को बोलने दिया जाए। माननीय शक्तावत साहब को बोलने दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : आसन पैरों पर है, सरकार सिर के बल खड़ी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : आदरणीय सदस्य। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बैठ जाओ। राजेन्द्रजी, सिर के बल मत खड़े होइये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय। आप एक मिनट में अपनी बात कह दीजिये जिससे कार्यसूची आगे चले।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में तो मैं अपनी बात नहीं कह सकता हूं क्योंकि जो मुझे कहना है उसके लिए तो समय चाहियेगा और अगर आप एक मिनट में मेरी आवाज को बंद करना चाहते हो तो मैं बैठने को तैयार हूं। मेरी बात तो सुननी पड़ेगी। (व्यवधान) मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : बैठिये। सचेतक महोदय, आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। सदन की मर्यादाओं का ख्याल रखिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन खड़ा रहे, आसन अपनी व्यवस्था दे तो आसन की बात तो.... (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : आसन ने व्यवस्था दी थी सुबह।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप कोई आसन के.... (व्यवधान) आप कोई रिमोट कंट्रोल नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन अपनी व्यवस्था दे, जो आसन की बात को नहीं सुनें.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, आप तो बैठो। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : आसन ने व्यवस्था दी थी सुबह। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आसन को कंट्रोल करने का कोई अधिकार नहीं है.. (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : लेकिन विपक्ष का यह दायित्व है, वो आसन से बड़े नहीं हैं।

+ + + अभिव्यक्तियां अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्रीमती बीना काक : एक एम. एल. ए. के साथ अत्याचार हुआ है, आपको साथ देना चाहिये। +++ आनी चाहिये आपको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन की नहीं सुने और लगातार आसन की अवमानना करते रहें.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके कहने से आसन.... (व्यवधान) जिस तरह से आप चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह घोर अव्यवस्था है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्रीमती बीना काक : जिस दिन आपका ऐसा हश्र होगा कोई नहीं आएगा। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं तो आसन से यह प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आसन के आदेश की अवहेलना नहीं करते हुए और आसन का सम्मान करते हुए यह निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरह से.... (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : शांत बैठिये, शांत बैठिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : बैठिये, बैठिये। कालीचरणजी, बैठिये। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह की घटनाएं राजस्थान में घट रही हैं, विधायकों के साथ विशेषकर के जो घटनाएं घटी हैं वे राजस्थान के इतिहास में हमारे इस प्रजातंत्र में एक बहुत बड़ा कलंक है।

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय ऐसा है....

श्रीमती बीना काक : किसी दिन आपका यह हश्र होगा तो ध्यान रखना कोई साथ नहीं आयेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिस पर कल इसकी चर्चा हुई और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम किसी मुजरिम को बचायेंगे नहीं.... (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : सचेतक महोदय, आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप तो बैठिये। आपको कोई अधिकार नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इनको बैठाइये। इनको कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, नियमों में यह प्रावधान है....

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, सचेतक महोदय को बाहर निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : बचाने के लिए सदन का उपयोग नहीं हो सकता। (व्यवधान) यदि कोई तथ्य है, उपाध्यक्ष महोदय, क्या इन्होंने आपके पास कोई तथ्य प्रस्तुत किये हैं ?

श्रीमती बीना काक : इसको गम्भीरता से लीजिये। गम्भीरता से। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या आप प्राइमाफेसी इस बात के लिये स्वयं संतुष्ट हैं ?

श्रीमती बीना काक : गम्भीरता से लीजिये। आसन का कहना आप भी मानिये, आसन व्यवस्था दे चुका है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ...(व्यवधान)... तथ्यों के आधार पर है ? क्या आप इस बात के लिये प्राइमाफेसी संतुष्ट हैं या ये सदन का दुरुपयोग ही करेंगे ? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : उपाध्यक्ष महोदय, सचेतक महोदय को नियंत्रित कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : मुख्य सचेतक महोदय को नियंत्रित कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : कल इस पर चर्चा हुई और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यहां सरकार की ओर से उत्तर दिया।

एक माननीय सदस्य : असत्य बोले। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : हमारे नेता महोदय बोलेंगे। वो कौन होते हैं इस तरह से बीच में इन्टरविन करने वाले.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट।

श्री राजेन्द्र पारीक : जब आपने व्यवस्था दे दी उसके बाद क्या है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मामले की सी. आई. डी. तफ्तीश कर रही है, अब इससे अधिक और सरकार क्या कह सकती है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, यही तो बात है।

श्री परसादीलाल मीणा : क्या बात कर रहे हैं आप.... (व्यवधान)... आपने व्यवस्था दे दी। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सी.आई.डी. (सी. बी.) को देकर के मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाह रहे हैं।

श्रीमती बीना काक : आत्मदाह की घोषणा की है उन्होंने। आत्मदाह की घोषणा की है मुख्य मंत्रीजी के कहने के बाद.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : डाक्टर को डंडा मारा गया है मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने के लिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी उसके बावजूद सचेतक महोदय आपको डिक्टेड कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद मैंने आज समाचार पत्रों में पढ़ा और हमारे साथियों ने भरत सिंहजी से चर्चा की और उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने कार्यवाही नहीं की तो आत्मदाह करूंगा।

श्रीमती बीना काक : उनको देखो। (व्यवधान) वो सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। माननीय उप नेता महोदय, विराजिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : इस पर अलग से चर्चा ही करा लीजिये आप।

श्रीमती कमला : घोषणा की है विधायक ने और कल को कोई घटना घट जाएगी, इसलिए आप बोलने तो दीजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : हम को भी बोलने दो आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा का कोई उचित माध्यम ढूंढ़िये आप। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह सुनना ही नहीं चाहते कोई। (व्यवधान) यह कोई छोटी बात है क्या, इतनी बड़ी बात है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा का कोई उचित माध्यम ढूंढ़िये। कृपया विराजिये।

श्रीमती बीना काक : मुख्य सचेतक महोदय को नियन्त्रित कीजिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : कोई कार्यवाही नहीं चलेगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : विधायक ने आत्मदाह की धमकी दे रखी है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : + + +

एक माननीय सदस्य : विधायक मर जाए तो.... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपने कोई कार्यवाही नहीं की है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप सचेतक महोदय से गाइड हो रहे हैं ? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : व्यवस्था देने के बाद अपनी व्यवस्था से हट रहे हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में आकर नारेबाजी)

श्रीमती कमला : एक विधायक की जान का सवाल है और आप यहां उन्हें बोलने भी नहीं दे रहे हैं और विपक्ष इस बात पर आमादा है.... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, आप एक जिम्मेवार आसन पर विराजमान हैं और.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह जनतन्त्र का गला घोंटा जा रहा है.... (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : स्वयं मर्यादा और परम्परा.... (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्तियां अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयीं।

(62)

श्रीमती बीना काक : यह डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी नहीं है। (व्यवधान) यह डेमोक्रेसी नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यहीं काम आएगी डेमोक्रेसी.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय आपको डिक्टेट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : सत्ता पक्ष अपराधियों को बचा रही है।

श्री मोहनलाल मोदी : प्रजातन्त्र के हत्यारों का नाश हो।

श्रीमती कमला : विधायक पर आक्रमण हुआ और इस तरह से अनेक विधायकों के साथ में घटनाएं घट चुकी हैं, कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और आज आप बोलने के लिये इजाजत नहीं दे रहे हैं, यह क्या तरीका है ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : प्रजातन्त्र में हमें हमारी बात कहने का हक है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में आकर नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप अपने स्थान पर जाइये। अपने स्थान पर जाइये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह हमारा मौलिक अधिकार है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने स्थान पर जाइये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : प्रजातन्त्र की जान है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने-अपने स्थान पर जाकर विराजें। आप अपने-अपने स्थान पर जाकर बैठिये। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, उप नेता महोदय को बोलने की इजाजत दीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अपने-अपने स्थान पर जाइये आप। आप अपने स्थान पर जाकर बैठिये। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : उप नेता महोदय को बोलने की इजाजत दीजिये। एक विधायक के जीवन का सवाल पैदा हो चुका है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन प्रस्ताव करता है कि श्री महावीर प्रसाद जैन, मुख्य सचेतक को सदन से निष्कासित किया जाए।

श्री हरिसिंह (महुआ) : + + + (व्यवधान)

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, उप नेता महोदय को बोलने की इजाजत दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, आपको धमका रहे हैं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन प्रस्ताव करता है कि माननीय मुख्य सचेतक श्री महावीर प्रसाद जैन को सदन से निष्कासित किया जाए।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में आकर नारेबाजी)

श्रीमती कमला : अगर इस विधान सभा में विधायकों के सुरक्षा की बात भी नहीं उठेगी तो यह किस बात की विधान सभा है ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन को बहुत अधिकार हैं। (व्यवधान) जेल भी दे सकता है, जुर्माना भी कर सकता है, बाहर भी निकलवा सकता है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय ने जो आत्मदाह की घोषणा की है, उनका यही कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। अगर वह खुद दोषी हैं तो उनको भी चाहे करे.... (व्यवधान) लेकिन यह सरकार गिरफ्तार करने के बजाय जो डाक्टर का बयान है उसको बदलाया है। (व्यवधान) उसने नहीं बदला तो उस डाक्टर के सिर में मारी है। उसने एफ. आई. आर. दर्ज करायी है। सारी घटनाएं ऐसी घट रही हैं और उसके बाद आप बोलने नहीं दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्षजी, हाउस चलाने की (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : जिस हाउस को मुख्य सचेतक महोदय के चलाने की जिम्मेदारी है वहीं सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय बोलते हैं वह बीच-बीच में बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : इस + + + को आप समझाइये। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : प्रजातंत्र विरोधी ताकतें हैं, यह जिस प्रकार का यहां व्यवहार करती हैं, जिसका प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है वहां कैसे प्रजातंत्र चल सकता है ? (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय को आपने बोलने के लिये आदेश दिया था। उनको बोलने के लिये समय दिया जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस + + + को आप समझाइये। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : यह लोक सभा चुनाव की हार की बोखलाहट को जिस ढंग से आप प्रदर्शित कर रहे हैं, शांति और शालीनता के साथ में बैठ जाना चाहिये। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : उपाध्यक्षजी, प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय को अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिये।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

सरकारी मुख्य सचेतक से कहा जाए कि वह थोड़ा शांत रहें। अगर बीच में किसी को बोलने का अधिकार है तो चीफ मिनिस्टर को अधिकार है। वह बोले इसके अंदर.... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय से इस तरह से बोल रहे है.... (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : दिल्ली का दु:ख ऐसे ही मिटेगा क्या ?

श्री रतनलाल ताम्बी : कोई तकलीफ नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप दिल्ली की खुशियां मनाइये लेकिन विधायकों को इस तरह मरवाइए मत। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन को ऐसे धमका कर काम नहीं चलता है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप डाक्टर से रिपोर्ट बदलवा रहे हैं। नहीं बदल रहे हैं तो उनको मार रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप अपनी बात अपनी सीट पर से कहिये (व्यवधान) यह वाद-विवाद से समस्याओं का समाधान होगा। + + + से काम नहीं होगा। (व्यवधान) वाद-विवाद करिये। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : सन् 2000 में फिर तैयार रहिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नियमों में आएं। आप नियमों में प्रस्ताव लाइये। आप किस पर चर्चा करना चाहते हैं उस पर प्रस्ताव लाइये। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य सचेतक जी से कहा जाए कि अन्यत्र डिस्टर्बेंस न करें। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आप तो अटल बिहारी वाजपेयी को अध्यक्ष बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रक्रियाओं में सारी व्यवस्थाएं हैं। नियमों और प्रक्रियाओं में सारी व्यवस्थाएं हैं। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आडवाणी जी नहीं बन रहे हैं, उसकी तकलीफ हो रही है आपको। (व्यवधान) आडवाणी जी नहीं बन रहे हैं उसकी तकलीफ हो रही है आपको। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप + + + से सदन को चलाना चाहें, यह उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आर. एस. एस. के आडवाणी जी बन रहे हैं, उसकी तकलीफ हो रही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : दो दिन से इस सदन का आपने + + + किया है।

श्री रतनलाल ताम्बी : + + +

+ + + शब्द/अभिव्यक्तियां अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सारी मर्यादाएं आपने तोड़ी हैं। सदन की सारी मर्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने तोड़ी हैं। यह सदन आप चलना ही नहीं देना चाहते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन प्रस्ताव करता है कि श्री महावीर प्रसाद जैन, मुख्य सचेतक को सदन से निष्कासित किया जाये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : चोखी ढाणी के "खीर-मालपुए" खाओगे ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चोखी ढाणी में चले जाओ। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दोरा : चोखी ढाणी में चले जाओ, चोखी ढाणी में। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : बोलने के लिये कोई विषय नहीं है ....(व्यवधान) आपको नियमों का ज्ञान नहीं है, प्रक्रियाओं का ज्ञान नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दोरा : चोखी ढाणी में चले जाओ। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप दो दर्जा तो पढ़े नहीं हैं और यह बात कर रहे हो ... (व्यवधान) यह दुर्भाग्य राजस्थान का, आपको मुख्य सचेतक बनाया गया है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज से यह हाउस नियमों और प्रक्रियाओं में चलेगा। यह किसी की + + + नहीं है... (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : सरकारी मुख्य सचेतक सबसे ज्यादा हाउस चलाने में बाधक हो रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह माननीय सदस्यों के बोलने के अधिकारों पर अति-क्रमण है। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : सरकारी मुख्य सचेतक हाउस चलाने में ज्यादा सहयोग नहीं करते। जहां बाधाएं डालते हैं वह सदन चल नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : केवल अप-राधियों को बचाने का षड्यंत्र है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सदन को अपमानित किया है....(व्यवधान) सदन को अपवित्र आप लोगों ने किया है। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जिस प्रकार की घटनाएं विधायकों के साथ हो रही हैं, यह सुनियोजित षड्यंत्र के साथ यह सरकार हमारे अधिकारों पर हनन करना चाहती है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, सारी बात बता चुके, दुबारा इस विषय पर क्या बोलना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं बोल रहा हूं मेरे पास....(व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने की इजाजत नहीं दी और

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री कालूलाल गूजर)

आपकी बिना इजाजत के बोल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह लड़ाई झगड़ा करते हैं और आदमियों को मारा है इसलिए हत्यारों को बचाना चाहते हैं। गुण्डों को बचाने के लिए, यह सदन में नहीं चल सकता। दोषियों को बचाने के लिए सदन का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने की इजाजत दी नहीं और अपने आप ही बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : सच्चाई पर पर्दा डालना चाहते हैं....(व्यवधान) सच्चाई पर पर्दा डालना चाहते हैं।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह से इन्होंने प्रश्नकाल भी नहीं होने दिया और तीन दिन में एक प्रश्न भी नहीं लेने दिया। लाखों रुपये सरकार के खर्च होकर प्रश्नों के जवाब आते हैं, करोड़ों रुपये खर्च होते हैं और माननीय सदस्य उस बात को समझ ही नहीं रहे हैं, गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं। + + + आप यहां कोई प्रश्न पूछने के लिए थोड़े ही आये हो। अगर आप अपने क्षेत्र की बात रखते तो समझ में आता कि आप क्या चाहते हैं। + + + और अब सदन का वक्त जाया कर रहे हैं। (व्यवधान) + + + मर्जी हो जो बोलना, मर्जी हो जो खड़े हो जाना। उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय को पता ही नहीं कि मामला क्या है....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र के अन्दर यह हमारी आवाज दबाना चाहते हैं। बहुमत के आधार पर यह हमारा गला घोंटना चाहते हैं....(व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : और विपक्ष में संगठन नाम की चीज नहीं है। इनके नेताओं के कहने में ये हैं नहीं और बार-बार आसन पर हमला करने की दृष्टि से आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आसन पर हमला आप करते हो। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : सच्चाई पर पर्दा क्यों डाले रखना चाहते हो? बोलने दो इन्हें। सच्चाई पर क्यों पर्दा रखना चाहता है सत्ता पक्ष? (व्यवधान) सच्चाई को निकलने दीजिये, बोलने दीजिये। इनकी बात तो सुनिये, क्यों घबरा रहे हैं आप लोग? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय ने उप नेता महोदय को बोलने की इजाजत दी....(व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : इस पर व्यवस्था दी कि सी. आई. डी. से इसकी जांच करा लेंगे....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। आप हां पक्ष के लोगों को नियन्त्रित नहीं कर पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : गिरफ्तारी से बचने के लिए इस सदन....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : इसके बाद में नये तथ्य आये हैं। नये तथ्यों से अवगत

+ + + शब्द/अभिव्यक्तियां अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

कराना हमारा कर्त्तव्य है। कोगटा जी आपको कुछ मालूम नहीं है, बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : कल की गलत बयानी के बाद कुछ नये तथ्य आये हैं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : कोई अपराधियों को बचा रही है तो यह सरकार बचा रही है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, भरत सिंहजी पर जो आक्रमण हुआ है उससे संबंधित नये तथ्य आये हैं और इसके साथ-साथ पहले भी माननीय सदस्य, राजेन्द्र जी चौधरी के ऊपर, राधेश्याम जी के ऊपर, भीमराज जी के ऊपर इस भाजपा की + + + में आक्रमण हुए हैं, इन पर हमले हुए हैं और इस प्रकार की यह + + + को हटाना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + + हमारे लिये आसन पैरों पर हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। यह चर्चा समाप्त की जाती है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : काहे की चर्चा समाप्त की जाती है। चर्चा हुई कहां जो समाप्त की जाती है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह चर्चा समाप्त नहीं हुई। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा वैल में आकर नारेबाजी)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से किसानों की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में भारतीय किसान यूनियन द्वारा बीकानेर के जिला कलक्टर कार्यालय में दिये जा रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश में कानून एवं न्याय की कथित बिगड़ती स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से आवास विकास संस्थान में कथित धांधलियों, कर्मचारियों पर अत्याचार एवं कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन धरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री पूनमचन्द विश्नोई, एवं 16 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से सरकारी कानून, नियमों एवं उप नियमों की कथित अवहेलना करते हुए राज्य के डेयरी फैडरेशन एवं जिला दुग्ध संघों का प्रबन्ध राष्ट्रीय विकास बोर्ड को सौंपे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

+ + + अभिव्यक्तियां अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयीं।

(श्री उपाध्यक्ष)

(5) श्री परसादीलाल मीणा एवं पांच अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले के पुलिस थाना सैंथल में दर्ज मुकदमा नम्बर 84/97 की जांच निष्पक्ष नहीं होने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(6) श्री ग्रमराराम, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से चौमूं तहसील स्थित राधा स्वामी बाग स्कूल के सामने सड़क दुर्घटना में मरे दो बच्चों के उपरान्त उत्पन्न जनाक्रोश के सम्बन्ध में।

(7) श्री किशन मोटवानी एवं पांच ग्रन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य प्रशासन की कथित अकर्मण्यता व ग्रदूरदर्शिता के कारण ग्रजमेर में कर्फ्यू लागू होने तथा दिनांक 20 एवं 21 फरवरी, 1998 को इन्दर कोट क्षेत्र में पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्यवाही के सम्बन्ध में।

(8) श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से ग्रजमेर जिले में सराधना के निकट दिनांक 4-3-98 को हुई मिनी बस–ट्रक दुर्घटना में मृत एवं घायल व्यक्तियों को पर्याप्त मुम्रावजा दिये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है ग्रौर जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय किया जाएगा।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव

(1) श्री हरिनारायण बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से निर्वाचन क्षेत्र खण्डार के कतिपय गांवों को डांग विकास योजना में शामिल के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर की सड़कों का डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से उदयपुर विकास प्रन्यास द्वारा अवाप्त भूमि का एवार्ड नहीं दिये जाने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से राज्य में सरसों, चना एवं गेहूं की फसल को चेपा एवं सफेदा रोग से हुए नुकसान का किसानों को मुग्रावजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) डा. मूलसिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से जिला झुन्झुनूं की तहसील चिड़ावा में उपखण्ड ग्रधिकारी कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(6) श्री कमल, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से विधान सभा क्षेत्र हिण्डोन में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के सम्बन्ध में।

(7) श्री भंवरलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से सरदारशहर कस्बे के वार्ड नम्बर 1 से 9 में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा बिना उचित मांग के खम्भे लगाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(8) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर में विद्युत वितरण की अव्यवस्था एवं व्यवस्था में सुधार करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री गोपीराम जाट, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस थाना नांवा की रपट संख्या 310 के प्रकरण की जांच को पुलिस द्वारा कथित रफा-दफा करने के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भानपुरकलां से वासना तथा भानपुरकलां से साईवाड़ सायपुरा की सड़कों की खराब स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री रामकिशन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र रामगंज मण्डी में कानून एवं व्यवस्था की कथित बिगड़ती स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

नियम 295 के प्रस्ताव पढ़े हुए माने जाएं।

(प्रस्तावों के लिये कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री गंगाराम चौधरी, राजस्व मंत्री, राजस्व विभाग की छह अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

अधिसूचनाएं

राजस्व विभाग

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की निम्न छह अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या प. 6 (18) राज-6/97/5 दिनांक 7-3-98 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (सहकारी सोसायटी को भूमि आबंटन) नियम, 1959 में संशोधन किया गया है,

(2) अधिसूचना संख्या प. 6 (15) राज-6/95/6 दिनांक 7-3-98 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (गौशालाओं को भूमि आबंटन) नियम, 1957 में संशोधन किये गये हैं,

(3) अधिसूचना संख्या प. 6 (15) राज-6/95/7 दिनांक 7-3-98 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (डेयरी, कुक्कुट और सूअर फार्मों को भूमि आबंटन) नियम, 1958 में संशोधन किया गया है,

(4) अधिसूचना संख्या प. 6 (15) राज-6/95/8 दिनांक 7-3-98 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (बीज, गोदामों के सन्निमान के लिए भूमि का आबंटन और संपरिवर्तन) नियम, 1965 में संशोधन किया गया है,

(5) अधिसूचना संख्या प. 10 (1) राज-6/94/9 दिनांक 7-3-98 जिसके द्वारा

(श्री मंगाराम चौधरी)

राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है, एवं

(6) अधिसूचना संख्या प. 1 (132) राज/भू. रा./97 दिनांक 7-3-98 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में संपरिवर्तन/नियमितिकरण) नियम, 1981 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह कौशल, संसदीय मामलात मंत्री कृषि विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

कृषि विभाग

श्री रघुवीर सिंह कौशल (संसदीय मामलात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या प. 10 (2) कृषि/ग्रुप-2/89/II दिनांक 8-1-98 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणि अधिनियम, 1961 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की संलग्न अनुसूची में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर भाभड़ा, उप मुख्य मंत्री दो प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

प्रतिवेदन

राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1996-97 के लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1996-97 के लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन, एवं

राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन, 1995-96

(2) कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96.

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, उच्च शिक्षा मंत्री एक प्रतिवेदन की मेज पर रखेंगे।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन, 1994-95 एवं 1995-96

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन 1994-95 एवं 1995-96 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल, खनिज मंत्री एक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन, 1996-97

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज

(श्री कैलाश मेघवाल)

अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा 3 का "बी" के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, जनलेखा समिति सात प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

समिति का प्रतिवेदन

जनलेखा समिति 1997-98 का 94वां, 96वां, 97वां, 98वां, 99वां, 100वां एवं 101वां प्रतिवेदन

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सभापति, जनलेखा समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जनलेखा समिति के निम्नांकित सात प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट सिंचाई विभाग से संबंधित वर्ष 1985-86 के अनुच्छेद संख्या 4.1 से 4.4, वर्ष 1986-87 के अंकेक्षण अनुच्छेद संख्या 4.5, 4.9, 5.3, 5.4 वर्ष 1987-88 के अंकेक्षण अनुच्छेद संख्या 4.3, 4.4, 4.5 तथा वर्ष 1988-89 का अनुच्छेद संख्या 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13 से सम्बन्धित मामलों पर 94वां प्रतिवेदन।

(2) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित वर्ष 1990-91 के अनुच्छेद संख्या 5.1, वर्ष 1991-92 के अनुच्छेद 3.4, 3.5, 3.6, वर्ष 1993-94 के अनुच्छेद संख्या 5.1 तथा वर्ष 1994-95 के अनुच्छेद संख्या 3.8 व 3.9 से सम्बन्धित मामलों पर 96वां प्रतिवेदन।

(3) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट शिक्षा विभाग से सम्बन्धित वर्ष 1990-91 का अनुच्छेद संख्या 6.2, 6.3 एवं वर्ष 1992-93 का अनुच्छेद संख्या 3.3 वर्ष 1993-94 का अनुच्छेद संख्या 3.1 व 3.3 से सम्बन्धित मामलों पर 97वां प्रतिवेदन।

(4) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट क्रमशः सामान्य प्रशासन विभाग अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 अनुच्छेद संख्या 3.10 एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 के अनुच्छेद संख्या 3.13 व वित्त विभाग अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 के अनुच्छेद संख्या 2.6 वर्ष 1989-90 का अनुच्छेद संख्या 3.1, 3.9 तथा जनजाति क्षेत्र विकास विभाग वर्ष 1991-92 का अनुच्छेद संख्या 6.8 युवा मामले एवं खेल विभाग अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 का अनुच्छेद संख्या 6.9 वर्ष 1993-94 का अनुच्छेद संख्या 6.9 एवं सहकारिता विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 का अनुच्छेद संख्या 3.2 से सम्बन्धित मामलों पर 98 वां प्रतिवेदन।

(5) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मत्स्य पालन विभाग से सम्बन्धित वर्ष 1991-92 का अनुच्छेद संख्या 3.3 से सम्बन्धित मामलों पर 99 वां प्रतिवेदन।

(6) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास विभाग से सम्बन्धित क्रमशः वर्ष 1991-92 का पैरा 6.5 वर्ष 1993-94 का पैरा 3.8 वर्ष 1994-95 का पैरा 6.7 तथा महिला एवं बाल विकास विभाग वर्ष 1988-89 का पैरा 3.14 वर्ष 1991-92 का पैरा 3.10 से सम्बन्धित मामलों पर 100 वां प्रतिवेदन, एवं

(7) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट विशिष्ट योजना तथा एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1987-88 के अनुच्छेद संख्या 3.10, 6-7, 6.8, 6.9 तथा वर्ष 1988-89 के अनुच्छेद संख्या 3.12, 6.4, 6.5, 6.6 वर्ष 1993-94 के अनुच्छेद संख्या 6.4, 6.6, 6.7 तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1987-88 के अनुच्छेद संख्या 6.5 वर्ष 1990-91 का अनुच्छेद संख्या 3.9 से सम्बन्धित मामलों पर 101 वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबसिंह शक्तावत सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी, सभापति, प्राक्कलन समिति "क" चार प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

प्राक्कलन समिति "क" 1997–98 का आठवां, नवां, दसवां एवं ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री नरपत सिंह राजवी (सभापति, प्राक्कलन समिति "क") : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति "क" 1997-98 के निम्नांकित चार प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) खनिज एवं भू-विज्ञान विभाग (पाली जिले में चूने के पत्थर के पट्टेधारी) विषयक प्राक्कलन समिति "क" 1994-95 के प्रथम प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक आठवां प्रतिवेदन,

(2) आबकारी विभाग विषयक प्राक्कलन समिति "क" 1996-97 के चतुर्थ प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक नवां प्रतिवेदन।

(3) प्राक्कलन समिति "क" 1996-97 के भाषा विभाग से सम्बन्धित प्रथम प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक दसवां प्रतिवेदन; एवं

(4) प्राक्कलन समिति "क" 1996-97 के सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित तृतीय प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपीराम, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

पटेल नगर (झोटवाड़ा–जयपुर) में डामर सड़क

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर नगर के झोटवाड़ा क्षेत्र के पटेल नगर में डामर की सड़क बनवाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

ग्राम तिलवाड़ी (राजगढ़–अलवर) में गैर मुमकिन सड़क पर अतिक्रमण

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम तिलवाड़ी तहसील राजगढ़ (अलवर) में ग्रा. ख. न. 242 गैर-मुमकिन सड़क पर से अतिक्रमण हटाने विषयक चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें माननीय सदस्य। आसन की व्यवस्था है।

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लिए समय का बंटवारा

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लिए लगभग 16 घण्टे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं :—

क्र.सं.	पार्टी/दल का नाम	आवंटित समय
1.	भारतीय जनता पार्टी	7.40 घंटे
2.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी	6.05 घंटे
3.	जनता दल	0.30 घंटे
4.	सी. पी. एम.	0.05 घंटे
5.	निर्दलीय	1.40 घंटे
		16.00 घंटे

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, + + + (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, आज जनतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। हमारी आवाज को नहीं सुना जा रहा है। प्रतिपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। सत्ता पक्ष का दबाव आसन की तरफ है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस तरह आप अन-पार्लियामेंट हो रहे हैं। आप हमारी बात को सुनना नहीं चाहते। यह सरासर गलत है। आपको चाहिये कि आप सदन की मर्यादा रखें।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुनदास मदान।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं सदन के सामने मैं जो कुछ निवेदन कर रहा था, मैंने यह निवेदन किया था....

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने सारी परम्पराओं को ताक में रख दिया।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें माननीय सदस्य।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सारी परम्पराएं ताक में रख दी गयी हैं। इस सदन की सारी गरिमा को + + + कर दिया गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) + + +

श्री उपाध्यक्ष : अपना आसन ग्रहण करें माननीय सदस्यगण। कृपया आप विराजें।

श्री अर्जुनदास मदान : भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार चल रही है। (व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारे साथ न्याय करें, आप प्रतिपक्ष के साथ न्याय करें। आपसे सभी को अपेक्षा है कि आप न्याय करें। आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं। आपसे न्याय की अपेक्षा की जाती है। आपका कोई कर्तव्य है। आपमें जस्टिफाइड मैनर होने चाहिए। आपको कर्तव्य के प्रति न्याय करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : लेकिन उसके उपरान्त भी किसी प्रकार का अभियान.... (व्यवधान).... हम लोगों के मन में नहीं आया। लेकिन आज मुझे खेद है....

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आप आसन से न्याय क्यों नहीं करते हैं ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, + + + यह हमारी आवाज को दबाना चाहती है। + + + जनता इनको सबक सिखा चुकी है और जनता इनको चार महीने बाद और सबक सिखायेगी। कम से कम आपको तो + + + आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : मैं आपसे निवेदन कर रहा था.... (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा वैल में आकर नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ये राम के नाम पर + + + कर रहे हैं, हिन्दुओं के नाम पर + + + कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्यों के साथ मारपीट हो

+ + + अभिव्यक्तियां अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयीं।

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

जाए और आप पांच मिनट बोलने का मौका नहीं देते हैं। कमाल करते हैं आप। इससे बढ़कर और क्या दुखदायी बात हो सकती है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + + उपाध्यक्ष महोदय, इनको + + + यह गलत बात है।

श्री उपाध्यक्ष : अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अपने-अपने स्थानों पर तो जाइये आप। आपको जो कुछ कहना है, अपने स्थान पर जाकर कहिए।

श्री अर्जुनदास मदान : ....हमारे मन में किसी प्रकार का अभिमान जाग्रत नहीं है। आप थोड़ी-सी सफलता प्राप्त करने के उपरान्त.... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, + + + पता नहीं किन कारणों से + + + बहुत दुःख की बात है। (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : ....बहुत ही निराशाजनक बात है और यदि यही स्थिति रही तो निश्चित रूप से जनता इनको पाठ सिखाएगी। जो लोग आज विधान सभा को नहीं चलने देने का प्रयास कर रहे हैं उनको इसका प्रायश्चित निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। बन्धुओं, मैं निवेदन करता हूं कि अहंकार मत करो, तसव्वुर मत करो, अभिमान मत लाओ। एक शायर ने कहा है कि-"कह रहा है यह जमीं से आसमां, ये शमा कुछ भी नहीं।"

एक गर्दिश में मिटा दूंगा, जहां कुछ भी नहीं।

जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे
झाड़ उनकी कब्र पर है और निशां कुछ भी नहीं।

जिनके धौंसों से जमीं और आसमां कांपते
चुप पड़े हैं कब्र में और हूं-हां कुछ भी नहीं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : मदान साहब, आपकी भी धरती हिल चुकी है। मालूम पड़ जाएगा कोटा में और मालूम पड़ जाएगा लाडपुरा में, हालत खस्ता हो रही है आपकी। जनता आपको सबक सिखा देगी और सबक सिखा चुकी है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : विधायकों को सुरक्षा दे नहीं सके, अपराधियों को पकड़ नहीं सके, गणतन्त्र का गला घोट रही हो ऐसी सरकार को तो...... (व्यवधान) जमीन में मिलाना ही सही है आपके कार्य के मुताबिक... (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : इसी तकल्लुफ के ऊपर, इसी अहंकार के ऊपर एक शायर ने दूसरी बात फिर कही है —

"कहीं इत्तफाक से एक दिन जो मैं गुजरा अपने दयार से,
सरे राह एक मजार था, था शिकस्तां गर्दो गुबार से।
वहां हटाके गर्दो गुबार को पढ़ी फातिहा बड़े प्यार से,
चला झोंका एक नसीम का, तो सदा ये आयी मजार से।

+ + + अभिव्यक्तियां अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयीं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : तालियां पीटो, तालियां पीटो। तालियां पीटते ही रह जाओगे।

श्री अर्जुनदास मदान : ....(व्यवधान) "कि बादे सबा जब तू निकले तो कह देना बुलबुले जार से, कि खिजां के दिन भी करीब हैं, न लगा तू दिल को बहार से।" तो बन्धुओं आपके बगीचे में अब पतझड़ का मौसम आने वाला है.... (व्यवधान) वह तो समय बताएगा कि आप बदलते हो कि हम बदलते हैं वह तो समय ही बताएगा मीणा साहब। (व्यवधान) आपके कहने से नहीं बैठूंगा श्रीमान्जी। आपके कहने से नहीं बैठूंगा। परसादीलालजी आपका परसाद मुझे नहीं चाहिए। मान्यवर, आज ये अपना रूप देखना चाहते हैं तो चुनाव के दर्पण में इन लोगों को इनका रूप दिखाना चाहता हूं और चाहता हूं कि ये अपने स्वरूप को पहचानें। मान्यवर, आज जम्मू से लेकर चेन्नई तक और कटक से लेकर द्वारिका तक हिन्दुस्तान के पूरे नक्शे को देख लीजिएगा... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अर्जुनदास मदान : कोई भू-भाग ऐसा नहीं है, कोई प्रान्त ऐसा नहीं है कोई सूबा ऐसा नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने विजय के दीप न जलाये हों। आज इन लोगों में....

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की कार्यवाही 12.52 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई)

(13.52 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 1998 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की बैठक 13.53 बजे, सोमवार, दिनांक 16-3-1998 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 27 की सूची

भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची

पंचायत समिति 1	उप केन्द्रों के नाम 2
1. थानागाजी	1. हरनेर 2. लालपुरा 3. नरहर 4. मुडियावास 5. चांदपुरी 6. नाडु 7. कोलाहेड़ा
2. राजगढ़	1. राजोर 2. कलेशान 3. मलई 4. नया गांव थोलक
3. बहरोड़	1. खरखड़ा 2. कारोडा 3. डांगीवास 4. साथल 5. श्यामपुर 6. भगवाडी खुर्द 7. गुजरवास 8. दिथ
4. नीमराना	1. दौलत सिंहपुरा 2. मकलीमपुर 3. गुगलकोटा
5. कठुमर	1. बसेठ 2. नाटोज 3. दारोदा 4. बहरामपुर 5. खोह 6. खेडीरेल 7. खेडाकल्याणपुर 8. मिरीया 9. डयोटाना
6. उमरैण	1. मटियाना 2. घाटला 3. भूगोट 4. भण्डवाडा 5. केसरपुर 6. नागलपलवाडी
7. रामगढ़	1. पिपरोली 2. टोहली 3. जातपुर 4. नीकच 5. रघुनाथगढ 6. चोमा चोमा 7. काकराली 8. डोली 9. बगड़ मेव 10. नांगल बजीरा 11. खेडी 12. खुटेटा कला 13. हाजीपुर 14. खोह 15. मारेडा
8. लक्ष्मणगढ़	1. चिमरावली गोड 2. हसनपुरा 3. लीली 4. रामावास 5. खेडली चन्द्रावत 6. सेदमपुर 7. शाहबका 8. निजामनगर
9. बानसुर	1. मोरडी 2. नागल भवानीसिंह 3. खोहरी 4. श्यामपुरा 5. बास शेखावत 6. कानपुरा 7. मागू का बास 8. भूपसोडा 9. ऊंचपुर 10. आलमपुर

1	2
10. तिजारा	1. रमाना 2. नोख नोया 3. चूहडपुरा 4. मसलीमपुर 5. सायल 6. सेदमपुर 7. खलीलपुरा 8. बिछाला
11. रेणी	1. मुनेरण 2. बहडकाकला 3. बिलेटा
12. कोटकासीम	1. कान्हबका 2. जमावडा 3. नागल खोडिया 4. खोहर 5. बीलाहेडा 6. मकडावा 7. बेडावास 8. लाडपुर 9. बघेरी खुर्द
13. किशनगढवास	1. नूरनगर 2. गंज 3. सीमोली 4. बहादुर पटी जोडिया 5. तरचाला
14. मुण्डावर	1. बखापुर 2. सोरखाकला 3. बल्लूवास

परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न संख्या 34 का विवरण

दौसा जिले में लालसोट सवाईमाधोपुर मार्ग पर मोरेल पुलिया की सम्पर्क सड़क पूर्व निर्धारित स्थान की एवज में अन्यत्र किये मिट्टी के काम के कारण उत्पन्न हुई देनदारी का विवरण

क्रमांक	विवरण	मात्रा	दर	देनदारी राशि
1.	मिट्टी का कार्य			
	कि. मी. 163/800 से कि. मी. 165/00	8196.23 घनमीटर	11.00 प्रतिघनमीटर	90158.53
		टेन्डर प्रिमियम 5% (प्रतिशत) अधिक		4507.93
		कुल देननारी राशि	रुपये	94,666.46

(79)

9(80)

परिशिष्ट—3

तारांकित प्रश्न संख्या 38 की सूची

हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र में प्राइवेट नीम हकीमों की सूची

1.	डा. जसमुद्दीन	महूइब्राहीमपुर
2.	डा. अमरदीन	"
3.	डा. मथुरा वाला	"
4.	डा. मानसिंह चौहान	"
5.	डा. रामदयाल आदिम	"
6.	डा. रमेश गुर्जर	खोडलीगूजर
7.	डा. लक्ष्मीनारायण	महूखास
8.	डा. अब्दुल सत्तार	"
9.	डा. दिनेश सोनी	"
10.	डा. भरतलाल गुर्जर	हिण्डौन सिटी
11.	डा. बच्चू सिंह	फैलीकापुरा
12.	डा. चन्द्रपाल सेन	श्रीमहावीर जी
13.	डा. अब्दुल रहमान	"
14.	डा. बिन्दू खां	"
15.	डा. अजमली	"
16.	डा. अरविन्द	"
17.	बुद्धिप्रकाश	"
18.	डा. सुरेश चन्द	"
19.	डा. हीरा सिंह	काचरोली
20.	डा. बालू	शेरपुर
21.	डा. शिवदयाल	"
22.	डा. मंजू	"
23.	डा. विनोद पटवा	"
24.	डा. मनसुख पटवा	"
25.	डा. उदयसिंह	खोडीहेवल
26.	डा. निपाल जाट	चिनायता
27.	डा. मोहर सिंह	"
28.	डा. कमरूदीन	खारेटा
29.	डा. मोहन माली	करसोली
30.	डा. भरत लाल	कोटवास

31.	डा. अब्दुल	गुनसार
32.	डा. मोहन सिंह	पटोदा
33.	डा. महेश चन्द	,,
34.	डा. बच्ची लाल	,,
35.	वैद्य श्री शान्तिलाल	,,
36.	डा. चन्द्रभान सिंह	,,
37.	डा. बाबूलाल महावर	हिण्डौन सिटी
38.	डा. मोती लाल	,,
39.	डा. टेकचन्द पंजाबी	,,
40.	डा. राम निवास	,,
41.	डा. रहीस खान	,,
42.	डा. हरसाना	,,
43.	डा. बंगाली	मायलापुरा हिण्डौन
44.	डा. पूरन सैन	हिण्डौन सिटी
45.	डा. पूरन	ब्यारेडारोड हिण्डौन
46.	डा. मनजी	नीम का बाजार हिण्डौन
47.	डा. सोवती	हिण्डौन सिटी

परिशिष्ट—4

तारांकित प्रश्न संख्या 39 का विवरण

प्रपत्र "ब"

विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर में कृषि उपज मंडी समिति भरतपुर द्वारा निर्मित एवं रख-रखाव हेतु सार्व. नि. वि को हस्तानान्तरित ग्रामीण सड़कों की सूची मय अन्य विवरण

(राशि रुपये लाखों में)

क्र. सं.	सड़क का नाम	मरम्मत हेतु तखमीना राशि	कृ. उप. म. समिति भरतपुर द्वारा सा.नि.वि. में जमा की राशि	व्यय
1.	मथुरा सड़क से मोरोली	1.07		1.06
2.	सतिरूक से ग्रोल बोर्डर	3.73		3.31
3.	बैलारा से कृषि विज्ञान केन्द्र	2.58		2.06
4.	अजान से ताखां	0.80		0.54
5.	डिपो से कसौदा वादेन	1.50	13.31	1.20
6.	लुधावारा से अबार	2.08		1.52
7.	कुम्हेर सड़क से बोरई	1.20		—
8.	डीग सड़क से सुपावास	1.50		0.86
9.	अस्तावन नदबई सड़क से गुढावली	0.70		—
10.	अस्तावन पूंठ सड़क से गुहाना पाडोला	2.55		0.13
11.	चितोकरी पपरेरा से सोनेरा	3.20		0.03
12.	सेवर हेतरू से चितोकरी	3.50		2.10
13.	कुम्हेर नदबई से सिकरोरी जहांगीरपुर	6.32		0.01
14.	अभोरा से अजान	2.55		0.90
	योग	33.28	13.31	13.62

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 36 की सूची

जिला भरतपुर के विभिन्न थानों हेतु गत तीन वर्षों (1995, 1996, 1997) में खरीदे गए फर्नीचर का विवरण

क्र. सं. 1	नाम थाना/सी. ओ. कार्यालय 2	राशि 3
	वर्ष 1995	
1.	सी. ओ. कार्यालय, बयाना	2,144.00
2.	थाना गोपालगढ़	5,549.00
		7,693.00
	वर्ष 1996	
1.	सी. ओ. कार्यालय, कामां	5,515.00
2.	सी. ओ. कार्यालय, भरतपुर शहर	3,000.00
3.	सी. ओ. कार्यालय, ग्रामीण भरतपुर	3,000.00
4.	थाना बयाना	650.00
5.	सी. ओ. कार्यालय, बयाना	650.00
6.	कोतवाली, भरतपुर शहर	650.00
7.	थाना डीग	1,300.00
8.	थाना सेवर	650.00
		15,415.00

(84)

1	2	3
	वर्ष 1997	
1.	थाना नगर	1,360.00
2.	थाना रूपवास	1,360.00
3.	थाना वैर	1,360.00
4.	सी. ओ. कार्यालय भरतपुर ग्रामीण	3,750.00
5.	थाना कुम्हेर	650.00
6.	चौकी मथुरा गेट	650.00
7.	चौकी राहुरा (थाना कुम्हेर)	650.00
8.	थाना गढ़ी बाजना	650.00
9.	कोतवाली मथुरा गेट, भरतपुर	3,250.00
10.	थाना सीकरी	1,300.00
11.	थाना चिकसाना	650.00
12.	चौकी रेल (कोत. भरतपुर)	650.00
13.	चौकी चाबुजा (कोत. भरतपुर)	650.00
14.	थाना अटलबन्द	1,300.00
15.	कोतवाली भरतपुर शहर	1,300.00
16.	चौकी कुम्हेर गेट (कोत. भरतपुर)	650.00
		20,180.00

जिला भरतपुर के विभिन्न थानों में गत वर्षों में (1988 से 1997) में हिरासत में रहने वाले अभियुक्तों के लिए इश्यू किए गए कम्बलों का थानेवार विवरण

क्र. सं	नाम थाना	इश्यू किए गए कम्बलों की संख्या	दर प्रति कम्बल	कुल मूल्य
1.	कोतवाली	32	200.00	6,400.00
2.	नदबई	8	,,	1,600.00
3.	कुम्हेर	11	,,	2,200.00
4.	सेवर	19	,,	3,800.00
5.	डीग	21	,,	4,200.00
6.	कांमा	11	,,	2,200.00
7.	पहाड़ी	14	,,	2,800.00
8.	सीकरी	15	,,	3,000.00
9.	नगर	17	,,	3,400.00
10.	बयाना	27	,,	5,400.00
11.	बैर	12	,,	2,400.00
12.	भुसावर	11	,,	2,200.00
13.	गढीबाजना	11	,,	2,200.00
14.	रूपवास	15	,,	3,000.00
15.	उच्चैन	10	,,	2,000.00
16.	उद्योगनगर	8	,,	1,600.00
17.	जुरहरा	8	,,	1,600.00
18.	हलेना	6	,,	1,200.00
19.	चिकसाना	8	,,	1,600.00
20.	मथुरा गेट	8	,,	1,600.00
21.	गोपालगढ़	8	,,	1,600.00
22.	अटलबन्द	6	,,	1,200.00
	कुल योग :	286		57.200.00

(86)

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 40 की सूची

COPY OF GOVT. CORRIGENDUM No. F. 5 (A) (20) HE-GR. II/64-Acctts. I (A) Dated 22 10.1965 from Dy Secy. to the Govt, Home 'E' Deptt. Raj., Jaipur copy forwarded to the I G. of Police, Raj., A. G. Rajasthan/Finance Deptt./DIGP Hqrs./Home/(E-I) Deptt./A O. PHQ.

The words "the Governor to the abolition of" may be added between the words "convey sanction of" and "the following posts" in para 4 of this Department letter of even number dated the 23rd Sept., 1965.

For Appendix 'A' referred to in this Deptt. letter of even number dated the 23rd Sept., 1965 the following may be substituted :—

APPENDIX 'A'

ALL INDIA NORMS

No. of Crimes per Police Station upto	STRENGTH				
	Inspr.	S.I.	A.S.I.	H.C.	F.C.
Upto 60 Crimes	—	1	—	1	126
60-120	—	1	1	1	15
120-180	—	1	2	2	17
180-240	—	2	2	2	19
240-300	—	2	3	3	20
300-360	—	2	4	4	22
360-420	1	2	4	4	25

Above 420, for every increase of 60 crimes and part the of, add A.S.I. one and Constables two.

This issues with the concurrence of Finance Department vide their I.D. No. 5251/F-E-II/65 dated the 19th October, 1965.

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 41 की प्रति

परिशिष्ट "क"

नकल एफ. आई. आर. मु. नं. 199/94 धारा 302/364 ता. हि. पुलिस थाना जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

सेवामें,

श्रीमान् थाना प्रभारी महोदय पुलिस थाना जमवारामगढ़, नम्र निवेदन है कि प्रार्थीगण माणोता का निवासी है। दिनांक 18-9-94 को सुबह करीब 3 बजे लगभग की बात है कि लहरी पुत्र श्री जगनाथ ब्रा. जगदीश को घर आकर आवाज दे रहा था। उसकी आवाज सुन कर प्रार्थी की भी जाग हो गई और मेरे छप्पर के बाहर आया तो लहरी जगदीश से कह रहा था कि तुझे प्रकाश बस स्टेण्ड पर बुला रहा है प्रकाश को लेते ही जगदीश उसके पीछे हो लिया तो प्रार्थी की निमटने के लिए बस स्टेण्ड की तरफ इनके पीछे-पीछे चल दिया बस स्टेण्ड पर लहरी ब्रा. के छोटे भाई की दुकान पर उसका चाचा राधेश्याम व लहरी का भाई पूर्ण, विजयलाल, जगदीश उर्फ पप्पू पुत्र जगनाथ खड़े हुए थे प्रार्थी भी उनको देख कर वहां पर चला गया और मैंने कहा कि जगदीश को क्यों लाया है तो लहरी ने मुझे कहा कि मेरी बहन जो दौसा है उसके बारे में जगदीश से अवैध कारनामों की चर्चा गांव में सुनी है। मेरी बहन दौसा से तीन चार दिन से गायब है। उसका पता जगदीश को बताया जो ढूंढनें के लिए साथ ले जाना है। इतनी बात कहते हुए लहरी ने आक्रोस में आते हुए जगदीश का हाथ पकड़ कर कहा कि चल मोटरसाइकिल पर बैठ तो जगदीश आनाकानी कर रहा था इतने में प्रकाश भी वहां पर आ गया तो प्रकाश ने भी लहरी से पूछा क्या बात है तो लहरी ने प्रकाश को अपनी कह सुनाई तो प्रकाश भी लहरी व जगदीश के साथ बैठ कर जयपुर की तरफ चल दिये उसी दिन करीब तीन बजे प्रकाश जयपुर से माणोता पहुंचा और मुझ से कहा कि लहरी हमको जयपुर ले गया और सांगानेरी गेट के पास पहुंच कर ठहर गये और मुझ से कहा कि यहां एक ब्राह्मण का मकान है। उस पर हम पता करके आते हैं तो जगदीश व लहरी चले गये तथा थोड़ी देर में ही आकर वापस आकर कहा कि मीरा यहां तो नहीं है लहरी ने मुझ से कहा सिगरेट लेकर आ मैं पास की थड़ी से सिगरेट लेने के लिए घुमा ही था कि लहरी ने मोटरसाइकिल के किक लगा दी मैंने कहा कि लहरी रुक लहरी रुक मैं भी चलूंगा तब लहरी ने मुझे कहा कि तू यहीं पर बैठ हम दोनों सिंधी कैम्प तक जाकर आते हैं। यह लोग मुझे सांगानेरी गेट पर छोड़ कर चले गये और करीब 2 घन्टे बाद वापस आये और कहा कि मीरा तो वहां भी नहीं मिली अपन तो घर चलते हैं। मैं जगदीश के पीछे गाड़ी पर बैठ गया जब तक घाट की गुणी पर पहुंचे तो जगदीश ने दबी हुई आवाज में मुझ से कहा कि चाचा मेरे तो पेट और छाती में जलन हो रही है। गाड़ी रोको लेकिन गाड़ी तेज रफ्तार से लहरी

चला रहा था मैंने भी लहरी से कहा कि गाड़ी रोक जगदीश के क्या हो गया लेकिन मुझे से कहा कि गाड़ी विश्वकर्मा के मन्दिर पर रोकेंगे वहां पहुंचते ही जगदीश और भी काफिल हो गया तो मैंने जगदीश को पूछा जगदीश हो गया कुछ कह तो सही तो जगदीश ने लड़खड़ाती आवाज में मुझसे कहा कि चाचा मेरे साथ तो लहरी ने क्या कारण कुछ खिला कर धोखा कर दिया है। मुझे दवा दिला मैंने लहरी से कहा कि तूनें अन्याय कर दिया चल इसको दवाई दिलावें तो कहा मरने दें साले को कहते हुए मोटरसाईकिल पर बैठ कर वहां से जयपुर की तरफ हमको छोड़कर चला गया मैं चिल्लाया कहा कि लहरी ठहर लेकिन नहीं रुका तब मैं जैसे तैसे कन्धों पर डालकर जगदीश को आटोरिक्शा में बिठा कर सेठी कालोनी के अस्पताल में ले गया वहां पर डाक्टरों ने कहा कि इसको बड़ा अस्पताल में ले जा मैं जल्दी बड़ा अस्पताल में जगदीश को ले गया। वहां पर डाक्टरों ने जगदीश को मरा हुआ बता दिया अतः श्रीमान्जी मेरे भाई के लड़के की हत्या लहरी ब्राह्मण ने बड़ी जालसाजी रच कर की है। अतः दोषी को सख्त व सख्त कानूनी कार्यवाही कर सजा दिलाई जावे वास्ते रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामें प्रेषित है। भवदीय एस./डी. नि. नाथू पुत्र नानगराम मीणा नि. ग्राम माणोता थाना जमवारामगढ़ दिनांक 21-9-94.

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी बखत हिन्दी श्री नाथू पुत्र श्री नानगराम मीणा उम्र 40 साल नि. माणोता थाना जमवारामगढ़ मय अपने भाई जगदीश के उप थाना होकर पेश की कि जिसकी नकल, एफ. आई. आर. रजिस्टर में अक्षरशः अक्षर की जाकर पढ़ कर सुनाई गई सुन सही मान हस्ताक्षर व अंगूठा-निशानी का मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 302/364 ता. हि. का वकु में आना पाया जाता है। अतः मु. नं. 199/94 धारा उपरोक्त में कायम किया जाकर मन एस. एच. ओ. जितेन्द्र सिंह मश. तफ. हुआ प्रतियां एफ आई. आर. व एस. आर. नियमानुसार जारी की गई। एक प्रति निःशुल्क मुस्तगीस को दी गई। हस्ताक्षर एस. डी. एस. एच. ओ. थाना जमवारामगढ़ दिनांक 21-9-94 एट 9.30 ए. एम. निशानी अ. नाथू नि. द. जगदीश मीणा।

एस. डी.
एस. एच. ओ. थाना
जमवारामगढ़

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 45 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	गांव का नाम	जनसंख्या 1991
1.	घमून कलां	1174
2.	घमून खुर्द	1078
3.	बोरीफ	1014
4.	आकोदा	1164
5.	डांगरवाडा	1016
6.	खिदरपुर जादौन	1022
7.	क्यारदा खुर्द	1170
8.	पीपलदा	1025
9.	नीमली कला	903
10.	पीपल्या	916
11.	गरडवास	1375
12.	सोलपुर	926
13.	ओकडी	675

(90)

संलग्न— "ग्र"

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 46 की सूची

(कि. मी. 266/0 से 330/0 तक)

क्र सं.	संवेदक का नाम एवं क्षेत्रीय रजि. नं.	कार्य का नाम	कार्यादेश की राशि	कार्य का क्षेत्र	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै. गुडबिल कन्स्ट्रक्शन कं., जयपुर प.स./ए.ए.-2/93-94	पेवड़ शोल्डर्स	35.87 लाख	कि. मी. 290/0 से 276/500 जयपुर-अजमेर रोड	16-2-96	15-10-96 (कार्य प्रगति पर है) 3-4-98 तक पूर्ण हो जयेगा
2.	मैसर्स गुडविल कन्स्ट्रक्शन कं., जयपुर प.स./ए.ए.-2/93-95	पेवड़ शोल्डर्स	46.20 लाख	कि. मी. 310/0 से 320/0 जयपुर-अजमेर रोड	17-3-96	16-12-96 (कार्य प्रगति पर है)
3.	मैसर्स नारायण सिह गुलाबसिंह सी. ए. 120	पेवड़ शोल्डर्स	71.82 लाख	कि. मी. 300/0 से 310/0	1-12-97	31-8-98
4	मैसर्स हरेन्द्र सिह नारायण सिंह एए-952	इम्प्रूवमेंट आफ डाइडिंग क्वालिटी	123.65 लाख	कि. मी. 305/0 से 310/0 एवं 315 से 320 जयपुर-अजमेर रोड	20-3-97	19-3-98 कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
5.	मै. भवन व पथ निर्माण बोहरा एण्ड कं., जयपुर प.न.एए–16/94–95	स्ट्रेंथनिंग कार्य टू लेन पेवमेंट	46.99 लाख	कि. मी. 296/500 से 300/0 (3.5 कि.मी.)	1-10:95	10-7-97
6.	मै. महेन्द्रसिंह धर्मपाल एण्ड कं., एफ.(3)/15-ए-1997 /डी. 3661	स्ट्रेंथनिंग आफ एग्जिस्टिंग टू लेन पेवमेंट	188.30 लाख	कि. मी. 345/0 से 352/0 एवं 364/0 से 366/200 जयपुर-अजमेर रोड	9-8-95	30-6-98
7.	मै. मुकुश "जी." गोयल एफ. 191/डी/2799 दि. 16-12-93	एफ. पेवड़ शोल्डर्स	347.00 लाख	330/0 से 345/0 एवं 352/0 से 366/200	15-1-98	14-7-98
8.	मै. चावला कन्स्ट्रक्शन कं., बी-8/539 दि. 25-4-94	वाइडनिंग आफ माइनर ब्रिज	33.58 लाख	339/1 एवं 341/1	13-12-97	12-6-98
9.	मै. अंकित कन्स्ट्रक्शन कं., बी-14/4626 दि. 5-9-94	वाइडनिंग आफ माइनर ब्रिज	32.95 लाख	352/1 व 357/1	13-12-97	12-6-98

(92)

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 54 का विवरण

क्र.सं.	दान दिया गया सामान की सूची व नाम	मेक व साइज मय कम्पनी	तादात	प्राप्ति की दिनांक	स्टाक रजिस्टर में इंद्राज मय पेज संख्या व फिजिकल करने की दिनांक पुराना रजिस्टर /	नया रजिस्टर
1	2	2	4	5	6	7
1.	फ्रिज 165 लीटर का	जेम कम्पनी	1	10-8-90	67/21-7-93	87/22-5-97
2.	लोहे की हत्थेवाली कुर्सियां	—	4	4-8-90	7/21-7-93	3/22-5-97
3.	लोहे की फोल्डिंग कुर्सियां	—	4	4-8-90	7/21-7-93	3/22-5-97
4.	ट्यूबलाइट मय फिचर के	अकोर	7	5-8-90	109/फिजिकल नहीं	159/22-5-97
5.	टार्च 3 सेल वाली	कमान्डर	1	12-8-90	84/21-7-93	127/22-5-97
	टार्च 2 सेल वाली	एवरेडी	1	12-8-90	85/21-7-93	बेलेन्स एक पेज पर ही लिया गया
6.	सिलिंग फेन (छत के पंखे)	ओरियन्ट	8	4-8-90	68/21.7.93	103/22.5.97
7.	परदे (कर्टेन)	—	8	12.11.91	71/21.7.93	109/22.5.97

परिशिष्ट—11

अतारांकित प्रश्न संख्या 58 की सूची

चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पद कब से है
1	2	3	4
1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
	क. वि. (गायनी)	1	21-9-91
	मैल नर्स-II	2	1-9-95
	सिस्टर	1	1-7-95
	स्टाफ नर्स	4	1-7-95
	एल. एच. वी.	1	10/97
	व. लैब. टैक्नी.	1	9/91
	डैन्टल टैक्नी.	1	7/95
	लैब. टैक्नी.	1	93
	एफ. डब्ल्यू. डब्ल्यू.	1	2/96
2. ब्लाक प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र, बरार			
	वरिष्ठ चि. अधिकारी	1	4/97
	चिकित्सा अधिकारी	1	8/97
	मैल नर्स-II	1	8/96
	स्टाफ नर्स	1	7/94
	स्वा. निरीक्षक	1	10/97
	लैब टैक्निशियन	1	1/98
	बी. एच. एस. (मैल)	1	2/96
	मलेरिया इन्सपेक्टर	1	1/98
	एस. एम. पी. डब्ल्यू.	2	12/97, 2/98
	सेक्टर सुपरवाइजर	4	9/91

1	2	3	4
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिवेर			
	लैब टैक्नीशियन	1	9/91
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बार			
	चिकित्सा प्रधिकारी	1	10/97
	लैब टैक्नीशियन	1	9/91
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छापली			
	मैल नर्स-II	1	9/91
	लैब टैक्नीशियन	1	9/91
6. उप स्वास्थ्य केन्द्र, खेडीबारखेडा			
	प्रसाविका	1	9/97
7. उप स्वास्थ्य केन्द्र, थानेटा			
	प्रसाविका	1	6/96
8. उप स्वास्थ्य केन्द्र, लसाडिया			
	प्रसाविका	1	8/97
9. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवगढ़			
	लैब टैक्नीशियन	1	9/91
	वरिष्ठ लिपिक	1	2/98
	वाहन चालक	1	2/96
	बी. एच. एस. (मैल)	1	9/97
	सेक्टर सुपरवाइजर	1	9/91
	एम. पी. डब्ल्यू.	2	9/91
10. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लसान			
	मैल नर्स-II	2	11/97, 2/98
	लैब टैक्नीशियन	1	9/91

1	2	3	4
11. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ताल			
	चिकित्सा अधिकारी	2	7/97
	लैब टैक्नीशियन	1	21/91
12. प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र, कुन्दवा			
	लैब टैक्निशियन	1	9/91
13. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुम्राथल			
	चिकित्सा अधिकारी	1	6/97
	मैल नर्स-II	1	9/91
	लैब टैक्नीशियन	1	9/91
14. उपकेन्द्र, सांगावास			
	मैल नर्स-II	1	9/91
15. उपकेन्द्र, पुनियाना			
	प्रसाविका	1	8/97
16. उपकेन्द्र, मुण्डावड़ा			
	प्रसाविका	1	8/97

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 62 की सूची

क्रम संख्या	नाम जिला	लाभान्वितों की संख्या
1.	अजमेर	2017
2.	अलवर	2614
3.	बांसवाड़ा	725
4.	बाड़मेर	647
5.	भरतपुर	3963
6.	भीलवाड़ा	2399
7.	बीकानेर	2052
8.	बून्दी	1054
9.	बारां	1445
10.	चित्तौड़गढ़	805
11.	चूरू	2227
12.	धौलपुर	2800
13.	डूंगरपुर	2534
14.	दौसा	1072
15.	श्रीगंगानगर	2071
16.	जयपुर	4658
17.	जैसलमेर	546
18.	जालौर	1169
19.	झालावाड़	4934
20.	झुंझुनूं	2508
21.	जोधपुर	2631
22.	कोटा	1137
23.	नागौर	2394

क्रम संख्या	नाम जिला	लाभान्वितों की संख्या
24.	पाली	1873
25.	राजसमन्द	1977
26.	सवाईमाधोपुर	3984
27.	सीकर	3858
28.	सिरोही	468
29.	उदयपुर	4030
30.	हनुमानगढ़	2822
31.	टोंक	1499
	कुल	68908

परिशिष्ट—13

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयीं)

[श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार)]

खण्डार विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को डांग विकास क्षेत्र में सम्मिलित करना

अध्यक्ष महोदय में आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा लोक महत्व का विषय सदन की जानकारी हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र खण्डार के कई गांव रणथम्भोर के पहाड़ों की तलहटी तथा बनास नदी व चम्बल नदी के बीहड़ों व नालों में बसे हुये हैं। जिसमें से चौदह ग्राम पंचायतें डांग विकास क्षेत्र में सम्मिलित कर ली है किन्तु अभी भी कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनके एक ओर चम्बल नदी और दूसरी ओर पहाड़ तथा बड़े-बड़े नाले हैं जहां आने-जाने के मार्ग भी नहीं है।

अतः इस प्रकार की 15 ग्राम पंचायतों को डांग विकास में सम्मिलित किया जावे। जैसे:– खण्डार, बरनावदा, गोठडा, अनियाला, गण्डावर, मेईकलां, खण्डेवला, पाली, बहरावण्डाखुर्द, अल्लापुर, छाण, लहसोडा, रामपुरा, चितारा, दूमोदा आदि।

उक्त ग्राम पंचायतों को डांग विकास में सम्मिलित करने से इस क्षेत्र का विकास हो सकेगा तथा वहां के व्यक्तियों को सुविधाएं मिल सकेंगी।

[श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर)]

सांगानेर विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का डामरीकरण

महोदय, सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र में डामरीकरण करने हेतु बार-बार प्रस्ताव भेजने के बावजूद भी आज 67 सड़कें ऐसी हैं कि जो बनने के बाद भी क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं। वहां बड़े-बड़े गड्ढे एवं पत्थर निकलने से ग्रामवासी सड़क की बजाय कच्चे रास्ते पर चलना अधिक पसन्द करते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार से निवेदन है कि वह इन सड़कों पर डामरीकरण कराने का कार्य का आश्वासन मात्र नहीं देकर कार्य कराने की कृपा करें क्योंकि माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्रीजी ने पिछले कई विधान सभा सत्रों में अनेक ऐसे आश्वासन दिये हैं। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह अपने द्वारा दिये गये आश्वासनों को शीघ्र पूर्ण कर कार्यों को प्रारम्भ करावें।

जनहित के इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय पर कृपया चर्चा कराने की अनुमति प्रदान करावें।

[श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)]

उदयपुर नगर विकास प्रन्यास द्वारा अवाप्त भूमि का एवार्ड

महोदय, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर ने भुवाणा विस्तार योजना के अन्तर्गत भूमि का अवार्ड जारी करने की कार्यवाही प्रारम्भ की और भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के अन्तर्गत भुवाणा आदि में किसानों की भूमि को अवाप्त किया गया है। एक लम्बे समय के बाद अवार्ड घोषित किया गया और भूमि प्राप्त कर ली गई, लेकिन आज तक नगर विकास प्रन्यास जिसकी भूमि अवाप्त की गई, उन्हें अवार्ड राशि का भुगतान नहीं कर पाया है। उदाहरणस्वरूप श्री धनराज आत्मज श्री भगवान लाल माली की भूमि का नगर विकास प्रन्यास ने 21-3-96 को मुआवजा अवार्ड घोषित किया और पत्रांक-अवाप्ति/न. वि प्र. 95-96/373 दिनांक 25-6-96 सूचना पत्र दिया, लेकिन इन्हें आज तक भूमि अवाप्ति की राशि नहीं मिली है। इसी तरह श्री कन्ना पिता श्री दीपा डांगी भुवाणा का अवार्ड 152/92 जारी किया गया, जिसका पार्ट-पेमेन्ट श्री कन्ना डांगी को कर जमीन का कब्जा कर लिया गया और इसकी रकम आज तक नहीं दी गई। श्री कन्ना डांगी लगभग सभी अधिकारियों के पास फरियाद लेकर पहुंचा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

इसी तरह लगभग 40–50 मामले भुवाणा के किसानों के हैं। प्रन्यास रकम नहीं होने या मुकदमे का फैसला न होने आदि का बहाना कर रहे हैं और इस बीच बिचौलिये किसानों को बरगला रहे हैं। दलाली के किस्से भी सुनने में आ रहे हैं। साथ ही अभी नगर विकास प्रन्यास के तहसीलदार, पटवारी और विशेषाधिकारी लोगों को धमका भी रहे हैं।

अतः माननीय स्वायत शासन मंत्री का ध्यान भुवाणा (उदयपुर) के किसानों की समस्याओं की ओर आकर्षित करते हुए नगर विकास प्रन्यास से अविलम्ब अवाप्त की गई जमीन का एवार्ड जारी कराने और किसानों का असन्तोष समाप्त करने का आग्रह है।

[श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)]

ओलावृष्टि, सर्दी एवं रोग के कारण नष्ट हुई फसल का मुआवजा

महोदय, राजस्थान में वर्ष 1997 एवं 1998 में जो किसानों ने अपने खून एवं पसीने से सरसों, चना, गेहूं, जौ की बुवाई कराई थी। किसानों ने महंगे जोत, महंगी नवाई, महंगा बीज, महंगा खाद मंगा करके सफल तैयार करवाई थी 500/- रु.

डी. ए. पी. एवं 200/- रुपये का यूरिया, महंगा डीजल एवं बिजली खर्चा करने के बावजूद भी तैयार फसल को सफेदा एवं चेपा रोग खा गया और अधिक वर्षा से फसल में रोग लगा। इसमें विशेष तौर से राजस्थान में सरसों की सफल को तो 75 प्रतिशत नष्ट कर दिया। इसमें चेपा सफेदा ने एवं बची-खुची फसल को ओलावृष्टि, सर्दी ने नष्ट कर दिया। किसानों ने अबकी बार वर्षा के कारण सरसों ज्यादा बोई थी और उस पर ही प्राकृतिक प्रकोप ने कहर ढाया और नष्ट हो गई। आज किसान सरसों की फसल को देखकर रो रहा है। उसकी लागत भी वसूल नहीं हो रही है। कर्जा लेकर उसने फसल की बुवाई करवाई थी पर आज उससे ब्याज भी नहीं चुक रहा है।

बड़े दुर्भाग्य की बात है, यह संवेदनशील सरकार आज किसानों को मुआवजा नहीं दे रही है। जनता ने आन्दोलन भी किये, सरकार ने आश्वासन भी दिया पर किसानों को परेशानी एवं आश्वासनों के कुछ नहीं मिला और आज उसी का परिणाम है कि जनता ने इनको नकारा है।

मैं इस प्रक्रिया के माध्यम से इस सदन के द्वारा यह मांग करता हूं कि जनता को उनकी फसल का उचित मुआवजा दिया जाये और किसानों का लगान एवं बिलजी के बिल माफ किये जायें।

[डा. मूलसिंह शेखावत (झुन्झुनूं)]

चिड़ावा में उप खण्ड अधिकारी का कार्यालय खोलना

महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं चिड़ावा तहसील जिला झुन्झुनूं में उपखण्ड अधिकारी का कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

महोदय, चिड़ावा तहसील का वर्तमान उपखण्ड कार्यालय झुन्झुनूं है जिसमें पिलानी, मण्डावा व झुन्झुनूं विधान सभा के 3 क्षेत्र आते हैं। चिड़ावा तहसील से करीब 70 कि.मी. दूर झुन्झुनूं जाना पड़ता है। उक्त तहसील पर उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय व मुंसिफ न्यायालय व विद्युत मण्डल का अधिशासी अभियन्ता कार्यालय है। व जहां पर भी (नवलगढ़ व खेतड़ी में) ये कार्यालय हैं वहां उपखण्ड अधिकारी कार्यालय भी है। सरकारी मापदण्डों के आधार पर चिड़ावा तहसील पूरी तरह सक्षम है। अतः राज्य सरकार से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही कर चिड़ावा में एस. डी. एम. कार्यालय खोल कर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करें।

[श्री कमल (हिण्डौन)]

हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की बदतर स्थिति

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में कानून-व्यवस्था दिनों-दिन बद से बदतर होती जा रही है। मैं पिछले 4 वर्षों से सदन को इस क्रम में अवगत कराता रहा हूं। परन्तु कानून-व्यवस्था के मामले में अभी तक कोई सुधार नहीं हो पाया है। मैं इस क्रम में अभी हाल में घटी एक सनसनीपूर्ण दुखद घटना को सदन के सम्मुख प्रकट कर रहा हूं जिसके आधार पर क्षेत्र की कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में पता चलता है कि व्यवस्था किस हालत में पहुंच चुकी है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव खरेटा में पिछले दिनों कुछ असामाजिक व अपराधी किस्म से लोगों ने एक किशोर युवक का अपहरण कर लिया। गांव वालों ने इसकी सूचना थाने में दर्ज कराई। ऐसी गम्भीर घटना को पुलिस ने बहुत हल्के रूप में लिया और अपराधियों को पकड़ने व युवक को बरामद कर मुक्त कराने के बजाय अपराधियों से मिल गई जिसके कारण अपहरणकर्त्ताओं ने उस युवक की निर्मम हत्या करके लाश को कुएं में डाल दिया। फलस्वरूप क्षेत्र में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है। सभी लोग अपने आप को असुरक्षित व असहाय महसूस कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से मामले की न्यायिक जांच की मांग करता हूं तथा जांच में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो इसके लिए थाना सूरोठ में कार्यरत समस्त पुलिस स्टाफ को निलम्बित किया जावे तथा हिण्डौन थाने के स्टाफ को भी जिले से बाहर भेजा जाये।

इस प्रकार की घटनाएं होना हिण्डौन क्षेत्र में आम बात है परन्तु पता नहीं क्यों सरकार कानून व्यवस्था में सुधार करने में अपने आप को अक्षम महसूस कर रही है। यदि शीघ्र हालात पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर समुचित कदम नहीं उठाये गये तो स्थिति नियंत्रण के बाहर होने की पूरी सम्भावना है।

धन्यवाद।

[श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)]

सरदारशहर कस्बे में विद्युत मण्डल कार्यालय में भ्रष्टाचार

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये सरदारशहर कस्बे के

वार्ड नम्बर 1 एवं 9 में डाले गये खम्भों की वजह से रा. रा. वि. मण्डल को हुए आर्थिक नुकसान की चर्चा करने हेतु निवेदन करना चाहता हूं।

कस्बा सरदारशहर के वार्ड नम्बर 1 एवं 9 में अनधिकृत रूप से बिजली विभाग के अधिकारियों से मिलकर बिना किसी उपभोक्ता के आवेदन एवं मांग के खम्भे डाल दिये और खड़े करवा दिये परन्तु वहां के सजग नागरिकों के विरोध के बावजूद उन पर तार नहीं डाले गये। मेरे द्वारा दिनांक 22-9-97 को रा. रा. वि. मण्डल के अध्यक्ष श्री पी. एन. भण्डारी को एक पत्र भी लिखा गया था एवं जिसकी प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, रा. रा. वि. मण्डल, चूरू को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु दी गई थी। इस सम्बन्ध में तुरन्त जांच भी करवाई गई एवं दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ निलम्बन की कार्यवाही के संकेत भी मिले एवं एफ. आई. आर. दर्ज कराने एवं स्टोर कीपर के खिलाफ कार्यवाही करने की अनुशंषा जांच में की गई परन्तु किन्हीं कारणवश इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले को दबाया जा रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक तरफ रा. रा वि. मण्डल आर्थिक संकट में खोया हुआ है, हर तरफ से बकाया वसूली एवं खर्चों में कटौती वगैरह कर रखा है तो दूसरी तरफ लाखों रुपयों के पोल चोरी छिपे बिना किसी वाजिब प्रार्थना पत्र और मांग के, नियमों का उल्लंघन करके खड़े करवा दिये। अभी करीब 6 माह तक इन खम्भों पर तार लगाने से रोका गया है। सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः तुरन्त कार्यवाही की जाकर, एफ आई. आर. दर्ज कराकर अग्रिम कार्यवाही की जाये क्योंकि यह स्पष्टतया चोरी का मामला है। इसमें जो भी अधिकारी एवं जनता के आदमी शामिल हैं उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाये ताकि इस इलाके में इस चोरी की कार्यवाही के खिलाफ फैले जन आक्रोश को शांत किया जा सके।

चूंकि यह बहुत गम्भीर मामला है, अतः नियम 295 के तहत मुझे इस पर बोलने की अनुमति प्रदान करें।

[श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)]

जोधपुर शहर में विद्युत वितरण की अव्यवस्था

मान्यवर, जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण इस क्षेत्र में विद्युत वितरण की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जबकि विद्युत मण्डल इस बारे में उदासीन है। यहां विद्युत सप्लाई के उपलब्ध होते

हुए भी वितरण की समुचित व्यवस्था के अभाव में सप्लाई में बार-बार व्यवधान आते रहते हैं, जिससे आम जन को परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं। वितरण की व्यवस्था में सुधार हेतु पी. एफ. सी. द्वारा योजना भी स्वीकृत की जा चुकी है। परन्तु जोधपुर शहर के परकोटे के भीतरी भागों में इस पर कार्य शुरू ही नहीं किया गया है। मेरा आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री से अनुरोध है कि इस विषय में तुरन्त ही कार्यवाही आरम्भ की जाय। इसके साथ ही निम्न बिन्दुओं पर कार्य करने का निर्णय लिया जाय ताकि विद्युत सप्लाई एवं वितरण की व्यवस्था में सुधार हो सके।

(1) गणेशगढ़, न्यू चांदपोल रोड एवं गिरदीकोट में 33 के. वी. सब स्टेशन का निर्माण शीघ्र किया जाय एवं इन्हें मुख्य विद्युत यन्त्र से जोड़ा जाय। इस बारे में भूमि गणेशगढ़ आश्रम द्वारा निःशुल्क दिये जाने का प्रस्ताव मण्डल को दिया जा चुका है।

(2) शहर में पी. एफ. सी. योजना के अनुसार 11 के. वी. के वितरण ट्रांसफार्मर, जो कि वर्ष 1995-96 में ही स्वीकृत किये जा चुके हैं, को शीघ्र ही स्थापित किया जाय।

(3) शहर की सभी प्रकार की पुरानी लाइनों को बदला जाय जिससे तार टूटने की घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही योजनानुसार वितरण—लाइनों का भी विस्तार किया जाय।

(4) जो खम्भे जमीन से कट चुके हैं, उन्हें शीघ्र बदला जाय ताकि इनसे होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

(5) शहर के दोनों उप-खण्डों में पच्चीस हजार उपभोक्ता हैं, जो कि मण्डल के स्तर से बहुत अधिक हैं। अतः शहर में दो नये उप-खण्ड एवं उसी अनुरूप कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय खोले जायं व अन्य कर्मचारी की व्यवस्था की जाय ताकि वितरण सम्बन्धी व्यवस्था की उचित देखभाल हो सके।

(6) वर्तमान में एक सहायक अभियन्ता का कार्यालय पुराने बिजलीघर, रातानाडा में है और शहर के उपभोक्ताओं को बिजली बिल व अन्य कार्यों से यहां आना पड़ता है, जो कि शहर से काफी दूर है। इस कार्यालय को राजरणछोड़ जी के मन्दिर के पीछे उपलब्ध जगह पर स्थानान्तरित किया जाय ताकि आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।

मैं एक बार पुनः ऊर्जा मंत्री से अनुरोध करती हूं कि इस विषय में तुरन्त कार्यवाही करने की व्यवस्था करें।

[श्री गोपीराम जाट (आमेर)]

नावां थाने में दर्ज प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच

महोदय, विषयान्तर्गत गृह मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित कर कहना चाहूंगा कि थाना नावां में रपट सं. 310 समय मध्याह्न 12 बजे श्री भूंथाराम पुत्र रामूराम जाट निवासी योसला थाना नावां जिला नागौर ने अपनी पुत्री श्रीमती रूकमा जो दिनांक 7-7-95 को त्योदा कुएं से अपने घर यौसला जाते समय रास्ते से गायब होने पर दिनांक 11-7-95 को गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उक्त प्रकरण में पुलिस अधिकारियों का कथन है कि उसने आत्महत्या की है, जबकि रूकमा के पिता का कहना है कि दिनांक 7-7-95 को ही रूकमा देवी का अपहरण कर लिया था और अपहरणकर्त्ताओं का सहयोग नहीं करने के कारण उसकी पुत्री को ता. 23-7-95 से 26-7-95 के बीच हत्या कर के कुए में डाल दिया। यदि आत्महत्या करती तो ता. 7-7-95 को ही कर लेती। श्रीमती रूकमा देवी को दिनांक 27-7-95 को कुए से निकाल कर नावां हास्पिटल में पोस्ट मार्टम के लिये ले जाने के बाद श्रीमती रूकमा के पिता श्री भूंथाराम जो दिनांक 21-7-95 से थाना सांभर में बन्दी था, उसको पुलिस थाना सांभर से नांवा ले गई और उसके दाह संस्कार में भाग लेने हेतु ठीकरया (नांवा) ले गई। ठीकरया में बिना जमानत ही भूंथाराम को छोड़ दिया। श्रीमती रूकमा के पिता का यह भी कथन है कि नांवा हास्पिटल में डाक्टरों ने कोई पोस्टमार्टम नहीं किया। मृतदेह में किसी प्रकार की बदबू नहीं थी सिर के बाल गायब नहीं थे और मृतदेह फूली हुई नहीं थी। थाना सांभर ने दाह संस्कार होने तक श्री भूंथाराम को मुक्त नहीं करने के कारण भूंथाराम कुछ नहीं कर सका। नागौर जिले के प्रभावशील व्यक्तियों के हस्तक्षेप के कारण इस प्रकरण की जांच प्रभावित है।

अतः सदन का ध्यान आकर्षित करके मांग करता हूं कि यह प्रकरण पिछले तीन साल से लम्बित होने और अपराधियों की मदद के कारण हत्या को आत्महत्या का रूप दिया जाकर मामला रफा-दफा करने में स्थानीय पुलिस लिप्त है। अतः इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करा करके श्रीमती रूकमा के पिता को न्याय दिलाने का श्रम करें।

[श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)]

कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत

मान्यवर, पिछले दिनों ज्ञात हुआ था, कि कृषि उपज मण्डी अनाज व फल सब्जी मण्डी की सड़कों को पी. डब्ल्यू. डी. को निर्माण हेतु सौंप दिया गया है । परन्तु पूछताछ करने पर पता पड़ा कि कुछ पैसा ही मैन्टीनेस के लिये उक्त सड़कों पर कार्य हेतु दिया गया है । मैं कल भानपुर कलां से वासना गई तो पाया उक्त सड़क अनेकों स्थानों से कट गई है जिस पर बस जाना तो असंभव है पर जीप निकालना भी दुस्बर हो चुका । गांव वाले घेर कर बैठ गये । यह सड़क टोडाभीम तक वर्षों से स्वीकृत है लेकिन बनाई नहीं जा रही है । लौटते वक्त भानपुरकलां से साईवाड-सायपुरा होते हुए लौटी तो उस सड़कको हालत भी बेहद खराब पाई । यह सड़क 22 साल पहले स्वीकृत हुई थी और पूरी लम्बाई में बनी व टूटी पड़ी है । गांव के लोगों को आवागमन हेतु यही सड़क है । उक्त रोड पर बस हेचकोले खाते चल रही थी । इनका पूर्ण निर्माण बेहद जरूरी है कृषि-उपज मण्डी सड़क बनाये या फिर पैसा पी. डब्ल्यू. डी. को दे जिससे अविलम्ब सड़कों की मरम्मत व जो भाग पुन: बनना है बन सके । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है कृपया मुझे चर्चा में आगे अवसर दें ।

[श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमण्डी)]

रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की दुर्दशा

महोदय, श्रीमन् मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामगंजमण्डी में कानून एवं व्यवस्था की जो दुर्दशा इन दिनों हो रही है, उससे जनता भारी परेशान एवं भयभीत हो रही है । जनता का दिन का चैन व रात्रि की नींद गायब हो गई है । राज्य में पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है । जगह-जगह लूट खसोट, ज्यादातर दिन दहाड़े लूटने की घटनाएं बढ़ रही है । वर्षों से शान्ति के लिए विख्यात रामगंजमण्डी में भी अब लूट खसोट की घटनाएं दिन दहाड़े होने लग गई है । जिसका विवरण निम्न है :—

1. सरकारी कुआं चौराहा से एक सरकारी कर्मचारी जो बैंक जा रहा था उसे लूट कर बैग उड़ा लिया गया ।

2. राजस्थान आयल मिल के रास्ते में से हनुवत खेड़ा निवासी ए[illegible] का चांदी की कड़ियां दिन के दो बजे पांव से काट कर लूटेरे चम्पत हो गये ।

3. बैंक से उण्डवा वालों की दुकान के मुनीम के दिन दहाड़े एक लाख रुपया लूट लिये गये ।

4. हुकमचन्द शंकर लाल सर्राफ की बाजार नं. 3 में स्थित दुकान से 3 लाख के सोना चांदी के जेवर ले उड़े ।

5. सीमेन्ट रोड स्थित संदीप बोहरा के निवास से देशी कट्टा के बल पर चार सोने की चैन और दो हजार रुपया नकदी लूट ले गये ।

6. इसी संदीप बोहरा को सुकेत में वसूली करके लौटने पर रिवाल्वर दिखाकर डेढ़ लाख रुपया लूट लिया गया ।

7. सुकेत में ही कुछ समय पूर्व पारेता की गाड़ी पर रिवाल्वर से हमला करके खदान पर पेमेन्ट करने जाते समय हमला किया गया । यद्यपि लूटेरे राशि लूटने में सफल नहीं हो पाये ।

8. इससे पूर्व सीमेन्ट रोड स्थित कमल फीलिंग स्टेशन पेट्रोल पम्प को लूटने की घटना जग जाहिर है ।